अध्याय 3

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

ऊर्जा और विद्युत

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र

3.1 हरियाणा में बिजली की खरीद

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र (ह.वि.क्र.कें.) ने गलत मेरिट आदेश तैयार करने तथा निजी उत्पादकों से महंगी बिजली खरीदने के कारण ₹ 209.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया, जिससे राज्य के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ा। हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र भी अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका तथा कमी 18.64 प्रतिशत और 90.55 प्रतिशत के मध्य थी। इस प्रकार वहनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका है। बिजली की खरीद के प्रति भुगतानों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण त्रुटिपूर्ण थे क्योंकि गलत भुगतान के दृष्टांत पाए गए थे।

3.1.1 प्रस्तावना

हरियाणा सरकार ने राज्य में दो बिजली वितरण उपयोगिताओं (वितरण कंपनियों[1]) की ओर से बिजली की खरीद का प्रबंधन करने के लिए हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र की स्थापना (अप्रैल 2008) की। हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र, वितरण कंपनियों के स्वामित्व वाला एक संयुक्त मंच है। यह उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का एक हिस्सा है क्योंकि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र की अध्यक्षता करते हैं और प्रबंध निदेशक, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को रिपोर्ट करते हैं। यह दोनों वितरण कंपनियों के लिए बिजली खरीदता है। हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक आधार पर बिजली की खरीद, बैंकिंग व्यवस्था[2] और ऊर्जा विनिमय के माध्यम से खरीद की व्यवस्था करना था। राज्य में, बिजली के विभिन्न उत्पादकों को दिन-प्रतिदिन की मांग के पूर्वानुमान के आधार पर दैनिक निर्धारण सौंपकर बिजली खरीदी जाती है। पिछले महीने की परिवर्तनीय लागत के आधार पर तैयार किए गए मेरिट ऑर्डर[3] पर शेड्यूलिंग में उत्पादक को प्राथमिकता दी जाती है। सस्ते उत्पादक प्राथमिकता प्राप्त करते हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उत्पादकों को 'मस्ट रन' नीति अर्थात संयंत्र को

---

1 (i) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और (ii) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

2 बिजली के आधिक्य और कमी में मौसमी भिन्नता से मेल खाने के लिए, जहां प्राप्त की गई/आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिए कोई टैरिफ भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, बिजली के नकद रहित व्यापार के लिए दो उपयोगिताओं या राज्यों के मध्य व्यवस्था।

3 मेरिट ऑर्डर एक सूची है जिसमें सभी लाभार्थियों द्वारा कुल बिजली की मांग पूरी होने तक संयंत्रों के किफायती शेड्यूलिंग को तय करने के लिए तैयार किए गए आरोही क्रम में उत्पादन संयंत्रों की परिवर्तनीय लागत शामिल होती है।

मेरिट ऑर्डर की जांच से गुजरना नहीं पड़ता है क्योंकि या तो प्लांट को बंद नहीं किया जा सकता है (जैसे हाइडल, सोलर, विंड) या ऐसी साझी परियोजनाओं का हिस्सा हैं, जहां निर्धारण प्रदान करने में हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती है, के अंतर्गत शेड्यूल दिया जाता है। लेखापरीक्षा ने पांच वर्ष की अवधि 2015-20 के दौरान हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा शेड्यूल[4] के कार्य और बिजली की खरीद का विश्लेषण किया।

लेखापरीक्षा ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (सं.रा.वि.का.) द्वारा अनिवार्य सतत् विकास लक्ष्यों (स.वि.ल.) के अनुसार सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा किए गए प्रयासों की प्रभावशीलता, बिजली की खरीद और बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए बिजली खरीद अनुबंधों (बि.ख.अ.) के प्रावधानों को लागू करने की जांच (अक्तूबर 2020 से फरवरी 2021) की। लेखापरीक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 26 अगस्त 2021 को एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी और प्रबंधन की टिप्पणियां जहां भी प्राप्त हुई हैं, उन्हें अनुच्छेद में शामिल किया गया है।

बिजली खरीद के लिए स्रोत और प्रक्रिया

राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र निम्नलिखित से बिजली की खरीद करता है:

(i) भारत सरकार (भा.स.) द्वारा बिजली आवंटन के अनुसार केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रम (कें.वि.क्षे.उ.)[5] तथा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.)

(ii) राज्य के स्वामित्व वाली हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (ह.पा.ज.कॉ.लि.) के बिजली उत्पादन संयंत्र

(iii) स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (स्व.वि.उ.) तथा

(iv) नवीकरणीय ऊर्जा[6] (न.ऊ.) उत्पादक।

निजी बिजली परियोजनाओं से बिजली का अनुबंध टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किया जाता है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (ह.वि.वि.आ.) द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार राज्य के अपने उत्पादन संयंत्रों और नवीकरणीय स्रोतों से बिजली खरीदी जाती है।

---

4 15 मिनट के प्रत्येक समय स्लॉट में सभी उत्पादन इकाइयों के स्टार्ट-अप और शट डाउन समय के साथ-साथ बिजली उत्पादन स्तर का निर्धारण।

5 एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (न्यू.पा.कॉ.लि.)।

6 गैर-पारंपरिक ईंधन, जैसे बायोमास, सौर, आदि से उत्पादित बिजली।

नीचे दिए गए चार्ट 31 मार्च 2020 तक स्रोत-वार और उत्पादक-वार अनुबंधित क्षमता दर्शाते हैं:

चार्ट 3.1: ईंधन के प्रकार और स्रोत के अनुसार उत्पादन क्षमता

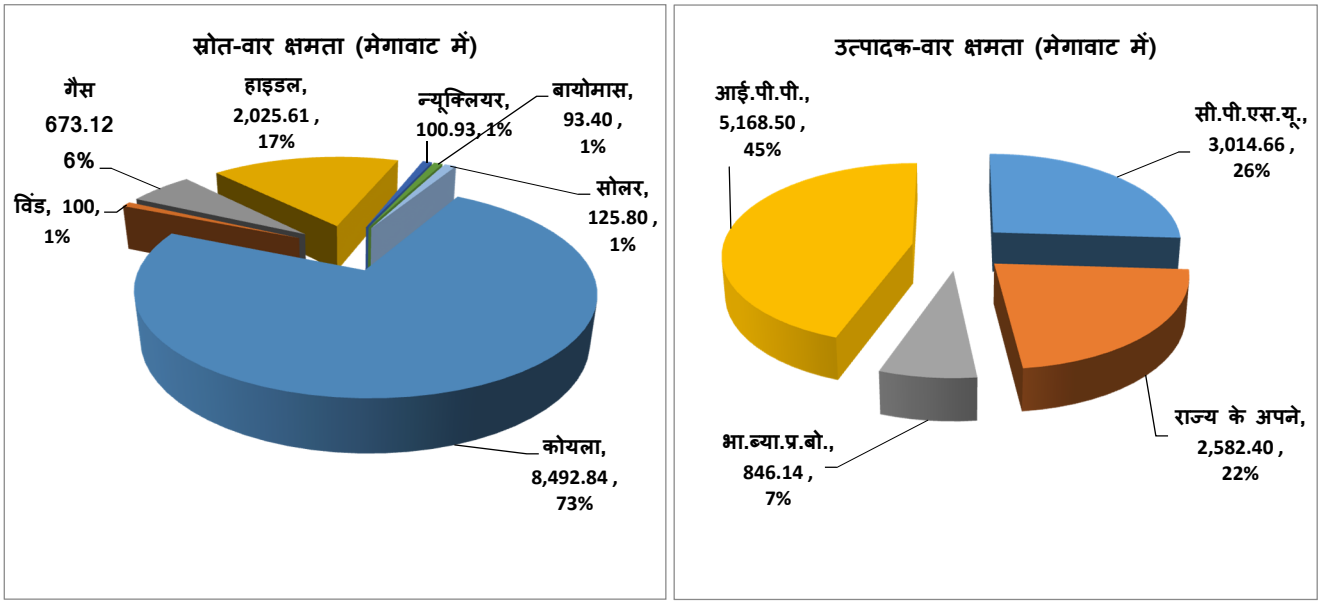

स्रोत: हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित

अनुबंधित क्षमता और खरीदी गई बिजली की मात्रा

नीचे दी गई तालिका 2015-16 से 2019-20 के दौरान हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा अनुबंधित बिजली उत्पादन क्षमता (मेगावाट में) और खरीदी गई बिजली की मात्रा (मिलियन यूनिट में) को दर्शाती है:

तालिका 3.1: हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा अनुबंधित क्षमता और खरीदी गई बिजली के विवरण

विवरण	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	क्षमता (मे.वा.[7])	यूनिट (मि.यू.[8] में)	क्षमता (मे.वा.)	यूनिट (मि.यू. में)	क्षमता (मे.वा.)	यूनिट (मि.यू. में)	क्षमता (मे.वा.)	यूनिट (मि.यू. में)	क्षमता (मे.वा.)	यूनिट (मि.यू. में)
केंद्रीय उत्पादन स्टेशन	2,976.71	10,021.49	2,976.71	11,764.15	2,976.71	12,840.57	3,014.66	13,077.67	3,014.66	13,141.02
राज्य के स्वामित्व वाले संयंत्र	2,782.40	9,796.41	2,792.40	8,885.13	2,792.40	10,067.75	2,792.40	9,988.07	2,582.40	6,766.06
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड	828.97	3,168.58	828.97	2,799.38	828.97	2,846.98	846.14	2,657.20	846.14	3,307.48
स्वतंत्र बिजली उत्पादक	4,444.50	23,095.72	4,466.50	24,206.23	4,668.50	26,209.43	4,718.50	26,577.18	5,168.50	27,887.92
अन्य (बैंकिंग + यू.आई.)	0	48,17.44	0	3,608.81	0	2,770.19	0	4,693.81	0	4,058.34
कुल	**11,032.58**	**50,899.64**	**11,064.58**	**51,263.70**	**11,266.58**	**54,734.92**	**11,371.70**	**56,993.93**	**11,611.70**	**55,160.82**

स्रोत: हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित

[7] मे.वा. - मेगावाट।

[8] मि.यू. - मिलियन यूनिट।

2015-16 से 2019-20 के दौरान, अनुबंधित क्षमता 11,032.58 मेगावाट से बढ़कर 11,611.70 मेगावाट हो गई और बिजली खरीद 50,899.64 मिलियन यूनिट और 56,993.93 मिलियन यूनिट के मध्य रही।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.1.2 महंगी बिजली की खरीद के कारण अतिरिक्त व्यय

भारत सरकार (भा.स.) ने वितरण कंपनियों की बिजली की कमी को पूरा करने और/या महंगी बिजली को सस्ती और विश्वसनीय बिजली में बदलने के लिए उनकी मदद करने के लिए भारत में निजी उत्पादकों के कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशनों से 2,500 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए एक पायलट योजना शुरू (दिसंबर 2017) की। हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (पा.ट्रे.कॉ.) के साथ अनुबंध (फरवरी 2019) करने के बाद अप्रैल 2019 से इस योजना के अंतर्गत बिजली की खरीद शुरू की, जिसने बदले में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा की गई बोली प्रक्रिया के द्वारा खोजे गए बिजली उत्पादकों[9] के साथ ₹ 4.24 प्रति यूनिट की दर से 400 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए अनुबंध किया। वितरण प्रभारों, ग्रिड के प्वाइंट से आगे की हानियों और पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के ट्रेडिंग मार्जिन पर विचार करने के बाद, प्रभावी टैरिफ ₹ 4.90 से ₹ 5.00 प्रति यूनिट तक परिकलित किया गया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने हरियाणा को 2017-18 से 2020-21 के दौरान बिजली अधिशेष राज्य के रूप में 2021-23 के दौरान मामूली घाटे के साथ निर्धारण[10] (मार्च 2018) किया था। हालांकि, इस बिजली की खरीद के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के पास दायर अपनी याचिका (अक्तूबर 2018) में हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने अदानी पावर लिमिटेड (अ.पा.लि.) और कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड के पहले ही से करार स्रोतों से बिजली की उपलब्धता को छोड़कर 2018-19 से 2023-24 के दौरान 563 मेगावाट से 2351 मेगावाट की वार्षिक कमी को इंगित किया। आगे संवीक्षा से पता चला कि योजना के अंतर्गत 300-400 मेगावाट बिजली की खरीद के औचित्य में, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने 11 मार्च 2018 से 21 मई 2018 तक अदानी पावर लिमिटेड से बिजली की अनुपलब्धता, मुकदमेबाजी के अंतर्गत बिजली खरीद अनुबंधों (बि.ख.अ.) और कोयले की कमी के कारण राज्य के स्वामित्व वाले संयंत्र पूरी क्षमता से नहीं चलने के कारण बिजली की भारी कमी पर विचार किया था।

इस बिजली को खरीदने के लिए हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा दिया गया औचित्य तर्कसंगत नहीं था क्योंकि i) उत्पादक कानूनी रूप से बिजली खरीद अनुबंधों के निबंधनों एवं शर्तों से बंधे थे; ii) अदानी पावर लिमिटेड के साथ मुद्दों को पहले ही हल कर लिया गया था जबकि हरियाणा

---

9 मैसर्ज एस.के.एस. पावर जनरेशन छत्तीसगढ़ लिमिटेड और मैसर्ज एम.बी. पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड।

10 19वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वे रिपोर्ट में केंद्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित 6.88 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर मूल्यांकन किया गया।

विद्युत क्रय केंद्र ने भारत सरकार की योजना के अंतर्गत बिजली खरीदने के लिए सैद्धांतिक सहमति बाद में (अक्तूबर 2018) दी थी; और iii) संयंत्रों में कोयले की एक दिन की कमी को तीन साल की अवधि के बिजली खरीद अनबंध करने का आधार बनाया गया था।

इस प्रकार, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने राज्य के स्वामित्य वाले अपने उत्पादन स्टेशनों (₹ 3.25 से ₹ 3.88 प्रति यूनिट[11]) की परिवर्तनीय लागत के विरूद्ध ₹ 4.90 से ₹ 5.00 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद कर इन निजी बिजली उत्पादकों को लाभ पहुंचाया। इस महंगी बिजली को खरीदने की वजह से अप्रैल 2019 से सितंबर 2020 के दौरान ₹ 208.57 करोड़[12] का परिहार्य व्यय हुआ, जिससे राज्य के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। यह बोझ बिजली खरीद अनुबंध की वैधता (मार्च 2022) तक और बढ़ जाएगा क्योंकि अनुबंध को केवल उस अनुबंध में परिभाषित चूक पर ही समाप्त किया जा सकता है जिसमें हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा मूल्यांकन की त्रुटि शामिल नहीं है।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2021) कि वास्तविक समय के आधार पर बिजली का निर्धारण एक सतत् प्रक्रिया थी जिसके लिए गतिशील निर्णयों की आवश्यकता होती है क्योंकि बिजली का भंडारण नहीं किया जा सकता है। मांग से कम/अधिक उत्पादन क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा सहन नहीं किया जाता है और वितरण कंपनियों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ता है। ऐसे परिदृश्य में, जहां मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति अपर्याप्त थी, वितरण कंपनियों को उन स्रोतों से भी खरीद करनी पड़ी जो महंगे थे। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार की पायलट योजना का उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया और उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति को ऐसी स्थिति में सुनिश्चित किया गया, जब मई 2018 में उत्पादक बिजली खरीद अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करना चाहते थे। प्रबंधन का उत्तर विश्वासप्रद नहीं था क्योंकि यह पूरी तरह से हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र की इस आशंका पर आधारित था कि आपूर्ति बाधित हो जाएगी और जब अक्तूबर 2018 में निजी उत्पादकों से बिजली की खरीद की मूल स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया था तो स्थिति में काफी सुधार हुआ था। इसके अतिरिक्त, यदि बिजली की सभी आवश्यकता मौजूदा स्रोतों द्वारा आपूर्ति न करने के कारण थी, तो इसे एक अप्रत्याशित घटना के रूप में बिजली की स्पॉट खरीद का सहारा लेना चाहिए था।

3.1.3 नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व लक्ष्यों की प्राप्ति

नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व में यह अनिवार्य है कि सभी बिजली वितरण लाइसेंसधारियों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अपनी आवश्यकताओं की न्यूनतम निर्दिष्ट मात्रा में खरीद या उत्पादन

---

11 दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट: ₹ 3.25/यूनिट, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन - यूनिट VII एवं VIII: ₹ 3.35/यूनिट तथा राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन: ₹ 3.37/यूनिट और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन - यूनिट V एवं VI: ₹ 3.88/यूनिट।

12 ₹ 1,186.94 करोड़ (योजना के अंतर्गत बिजली की खरीद के लिए खर्च की गई लागत जिसमें प्रसारण हानि 84.034 मिलियन यूनिट और ट्रेडिंग मार्जिन की लागत: ₹ 35.77 करोड़ शामिल है) घटा ₹ 978.37 करोड़ (अन्यथा समर्थित राज्य संचालित संयंत्रों से निवल बिजली खरीदने की लागत)।

करना चाहिए। यह भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग राज्य के लिए न्यूनतम नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व तय करते हैं।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने समय-समय पर वितरण कंपनियों द्वारा पूरे किए जाने वाले वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व लक्ष्यों को अधिसूचित किया था। अधिसूचित लक्ष्यों और उनके विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति की तुलना नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका 3.2: नवीकरणीय ऊर्जा (गैर-सौर ऊर्जा और सौर ऊर्जा) के संबंध में लक्ष्य और प्राप्तियां

वर्ष	नवीकरणीय ऊर्जा (गैर-सौर ऊर्जा)				नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा)			
	लक्षित खरीद		वास्तविक खरीद (मि.यू.)	कमी (प्रतिशतता)	लक्षित खरीद		वास्तविक खरीद (मि.यू.)	कमी (प्रतिशतता)
	कुल खपत की प्रतिशतता	मि.यू.			कुल खपत की प्रतिशतता	मि.यू.		
2015-16	2.75	1,285	253.14	80.30	0.75	350	126.99	63.72
2016-17	2.75	1,288	255.14	80.19	1.00	468	163.45	65.07
2017-18	2.75	1,078	283.30	73.72	2.50	980	209.51	78.62
2018-19	3.00	1,147	933.18	18.64	4.00	1,529	214.37	85.98
2019-20	3.00	1,186	564.08	52.44	5.50	2,175	205.59	90.55

*** हाइड्रो और नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर**

स्रोत: हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र समीक्षाधीन वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। कमी की सीमा गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 18.64 से 80.30 प्रतिशत और सौर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 63.72 प्रतिशत से 90.55 प्रतिशत तक थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (सौर और गैर-सौर दोनों) के लिए 1900 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे हरियाणा सौर नीति, 2016 में शामिल किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने अब तक 1542.77 मेगावाट[13] की नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा और गैर-सौर ऊर्जा) क्षमता के लिए 31 मार्च 2019 तक अनुबंध किया है। इस प्रकार लक्ष्यों की उपलब्धि में भी अभाव था। इसके परिणामस्वरूप हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों की पूर्ति नहीं हुई है।

प्रबंधन ने बताया कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने वितरण कंपनियों के प्रस्तुतीकरण पर विचार किया है और मार्च 2020 तक पिछले वर्षों के नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व बैकलॉग को माफ करने का निर्णय लिया है। हालांकि, तथ्य यह रहा कि स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में सतत् विकास लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

[13] इस क्षमता में से अभी तक (मार्च 2020) 319.2 मेगावाट क्षमता का ही उत्पादन शुरू हुआ है।

3.1.4 नई सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना से परिकल्पित लाभों की प्राप्ति न होना

अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र (अ.वि.नि.तं.) प्रभारों[14] को कम करने और बिजली खरीद लागत को अनुकूलित करने के लिए हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने आर.ई.सी. पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड नई दिल्ली (आर.ई.सी. लिमिटेड - भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को ₹ 2.95 करोड़ जमा लागू करों की लागत पर नामांकन के आधार पर बिजली प्रबंधन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के लिए एक अनुबंध प्रदान (मई 2016) किया। कार्य के क्षेत्र में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹ 15.50 लाख प्रति माह पर सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर, इसका कार्यान्वयन और तीन वर्ष का परिचालन सहायता शामिल है। अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभारों को कम करने के उद्देश्य के साथ-साथ सॉफ्टवेयर विशेषताओं में मध्यम अवधि, लघु अवधि और अगले दिन की पूर्वानुमान मांग, अगले दिन की और वास्तविक समय बिजली शेड्यूलिंग का उत्तर क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (उ.क्षे.लो.डि.सें.) और हरियाणा राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (रा.लो.डि.सें.) के साथ एकीकरण शामिल है। सिस्टम को अप्रैल 2018 से चालू कर दिया गया था। सॉफ्टवेयर सुविधाओं में अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभारों को कम करने के उद्देश्य से मध्यम अवधि, लघु अवधि और दिन आगे मांग पूर्वानुमान, दिन आगे और वास्तविक समय बिजली शेड्यूलिंग, उत्तरी क्षेत्र लोड डिस्पैच सेंटर और हरियाणा राज्य लोड डिस्पैच सेंटर के साथ एकीकरण शामिल है। सिस्टम को अप्रैल 2018 से चालू कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि परियोजना के कार्यान्वयन के बावजूद, लोड पूर्वानुमान में कोई सुधार नहीं हुआ था और हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र को उत्तरी क्षेत्र लोड डिस्पैच सेंटर को अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभारों का भुगतान करना पड़ा था जैसा कि नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका 3.3: सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन से पहले और बाद में अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभारों के विवरण

वर्ष	मौसम*	अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभार (₹ करोड़ में)	आधार अवधि में वृद्धि/(कमी)	
			राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन से पहले				
2017-18	गर्मी	21.92	-	-
	सर्दी	21.58	-	-
सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के बाद				
2018-19	गर्मी	37.11	15.19	69.29
	सर्दी	29.27	7.69	35.63
2019-20	गर्मी	35.40	13.48	61.50
	सर्दी	9.15	(12.43)	(57.60)
2020-21	गर्मी	27.52	5.6	25.55
	सर्दी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

*** गर्मी का मौसम: अप्रैल से सितंबर; # सर्दियों का मौसम: अक्तूबर से मार्च।**

स्रोत: हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।

[14] एक समय खंड में निर्दिष्ट ग्रिड फ्रीक्वेंसी पर वितरण कंपनियों द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से अधिक ऊर्जा (मिलियन यूनिट में) के आहरण के कारण अतिरिक्त प्रभार लगे और अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभार मिलियन यूनिट (एम.यू.) के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

अनुबंध की शर्तों में प्रावधान था कि अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभारों में कटौती न करने की स्थिति में, शास्ति लगाई जानी थी जो परस्पर सहमति से परिचालन लागत के अधिकतम 5 प्रतिशत के अधीन होगी। हालांकि, इस तथ्य के बावजूद कि अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभार पहले वर्ष से लगातार बढ़ रहे हैं, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा इस तरह की किसी भी शास्ति के लिए न तो सहमति दी गई थी और न ही कटौती की गई थी। परिचालन के दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए शास्ति की अधिकतम राशि (5 प्रतिशत) ₹ 14.90 लाख परिकलित की गई। इस प्रकार, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ₹ 3.52 करोड़ व्यय करने के बावजूद नए सॉफ्टवेयर से परिकल्पित लाभ प्राप्त नहीं कर सका और अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार पर शास्ति भी नहीं लगाई।

प्रबंधन ने बताया (मई 2021) कि अप्रैल और मई 2018 के दौरान अदानी संयंत्र के बंद होने और अन्य संयंत्रों में कोयले की कमी के कारण अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभारों में वृद्धि हुई। उत्तर विश्वासप्रद नहीं है क्योंकि अप्रैल और मई 2018 के महीनों के लिए अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभार अगले वर्ष अर्थात् अप्रैल और मई 2019 के इन्हीं महीनों के अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभारों से कम थे। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभार निर्धारित समय और वास्तविक आहरण में अंतर के कारण उद्गृहीत किए जाते हैं, जबकि सिस्टम को अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभारों से बचने के लिए यथासंभव सटीक रूप से मांग की गणना करनी चाहिए और अतिरिक्त विचलन निपटान तंत्र प्रभारों से बचने के लिए शेड्यूल को उसके अनुसार रखा जाना चाहिए। अदानी संयंत्रों या अन्य संयंत्रों (आपूर्ति की अनुपलब्धता) की अनुपलब्धता (अग्रिम रूप से घोषित) के मामले में, अन्य जनरेटर को शेड्यूल दिया जा सकता है।

3.1.5 गलत योग्यता आदेश के कारण अतिरिक्त व्यय

उच्च परिवर्तनीय लागत (₹ 3.894 प्रति यूनिट) के कारण पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पा.थ.पा.स्टे.) की यूनिट-6 (210 मेगावाट) फरवरी 2019 से मई 2020 तक शेड्यूल प्राप्त करने में विफल रही और 16 महीने तक लगातार बंद रही। हालांकि, हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (ह.पा.जे.कॉ.लि.) ने हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र से परीक्षण के उद्देश्य से 24 घंटे के लिए लाइट अप करने का अनुरोध किया (मार्च 2020)। हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने लगभग 24 घंटे की अवधि के लिए यूनिट का परीक्षण करने की अनुमति (मार्च 2020) दी। तदनुसार, यूनिट-6 को 19 जून 2020 को 160 मेगावाट के लोड पर शुरू किया गया था और 24 घंटे के दौरान 4.08 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन ₹ 3.314 प्रति यूनिट की परिवर्तनीय लागत पर किया गया था जो फरवरी 2019 के दौरान प्राप्त किए गए ₹ 0.60 प्रति यूनिट से कम था, जब यूनिट अंतिम बार चलाई गई थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि जून 2017 से मई 2020 तक तीन वर्षों के दौरान यूनिट-6 में विद्युत उत्पादन की औसत परिवर्तनीय लागत ₹ 3.83 प्रति यूनिट थी। योग्यता आदेश तय करने में हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, जहां ऐसी असामान्य

परिस्थितियां मौजूद थीं, योग्यता आदेश तय करने के लिए परिवर्तनीय लागत पर विचार नहीं किया जाता है। यह भी देखा गया कि नवंबर 2019 के दौरान, सिस्टम को बनाए रखने के लिए फरीदाबाद गैस पावर प्लांट को ट्रायल मोड में चलाने के लिए बनाया गया था और हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र द्वारा निर्धारित नहीं था, हालांकि इसकी परिवर्तनीय लागत संयंत्र के पिछले संचालन (अक्तूबर 2019) से कम थी।

उपर्युक्त के बावजूद, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने जुलाई 2020 के लिए योग्यता आदेश तैयार करते समय यूनिट-6 की ट्रायल रन लागत पर विचार किया। परिणामस्वरूप, यूनिट-6 को अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (अ.पा.कं.प्रा.लि.) और झज्जर पावर लिमिटेड (झ.पा.लि.) की तुलना में बेहतर स्थान दिया गया था। यह देखा गया कि आमतौर पर[15] अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और झज्जर पावर लिमिटेड में यूनिट-6 की तुलना में कम परिवर्तनीय लागत थी। ट्रायल रन अवधि की परिवर्तनीय लागत को ध्यान में रखते हुए, यूनिट-6 को अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और झज्जर पावर लिमिटेड की तुलना में बेहतर स्थान दिया गया था तथा 10 जुलाई 2020 और 23 जुलाई 2020 के दौरान 11 दिनों के लिए शेड्यूल दिया गया था और उसी महीने के दौरान 41.105 मिलियन यूनिट को अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और झज्जर पावर लिमिटेड की क्रमशः ₹ 3.33 और ₹ 3.409 की प्रति यूनिट परिवर्तनीय लागत के विरूद्ध ₹ 3.514 प्रति यूनिट की अंतिम परिवर्तनीय लागत पर खरीदा गया था।

इस प्रकार, यदि ट्रायल रन के परिणामों पर विचार न करके जुलाई 2020 के लिए योग्यता आदेश तैयार किया गया होता, तो अधिकतम लागत पर 41.105 मिलियन यूनिट खरीदी जा सकती थी और ₹ 75.63 लाख[16] की बचत की जा सकती थी।

प्रबंधन ने सूचित किया (जून 2021) कि दिसंबर 2020 से, परीक्षण के लिए सहमति देते समय, परीक्षण अवधि के दौरान दी गई परिवर्तनीय लागत पर मेरिट ऑर्डर तैयार करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

3.1.6 आंतरिक नियंत्रण का अभाव

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र में बिजली की खरीद के विरूद्ध भुगतान के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों में सुधार की आवश्यकता है। भुगतान में निरंतर त्रुटियों के निम्नलिखित उदाहरण देखे गए थे।

---

15 फरवरी 2019 से जून 2020 तक के महीनों के आंकड़ों के आधार पर, जहां इन संयंत्रों से बिजली की मासिक औसत लागत ₹ 3.349 और ₹ 3.737 प्रति यूनिट के बीच थी, जो कि परिवर्तनीय लागत (पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट 6 की ₹ 3.894 प्रति यूनिट) से कम थी। (स्रोत: हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र के दस्तावेज)

16 41.105 मिलियन यूनिट (₹ 3.514 घटा ₹ 3.33)

क) कैप्टिव जेनरेटरों को भुगतान से क्रॉस सब्सिडी और अतिरिक्त अधिभार का गैर-समायोजन

विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 के अनुसार, कोई भी विद्युत संयंत्र कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के रूप में तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि (i) कम से कम 26 प्रतिशत स्वामित्व कैप्टिव उपयोगकर्ता(ओं) के पास न हो और (ii) ऐसे संयंत्र में उत्पादित कुल बिजली, जिसे वार्षिक आधार पर निर्धारित किया गया है, का कम से कम 51 प्रतिशत उपयोग कैप्टिव के लिए किया जाता है। यदि कोई उत्पादन संयंत्र इस आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, तो वह हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों के लिए अपात्र हो जाएगा और एक नियमित उत्पादन संयंत्र या स्वतंत्र बिजली उत्पादक के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार यह वितरण कंपनियों को स्वयं द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा पर, समय-समय पर हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित क्रॉस सब्सिडी प्रभार, अतिरिक्त अधिभार या किसी अन्य प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने यह नहीं जांचा कि तीन उत्पादन संयंत्रों[17] को कैप्टिव जेनरेटर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना था (2010-11 से 2018-19 तक), क्योंकि इन संयंत्रों ने अपने उत्पादन के 51 प्रतिशत से अधिक भाग की आपूर्ति हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र को की थी। गैर-सत्यापन के परिणामस्वरूप हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने बिजली खरीद बिलों से लागू क्रॉस सब्सिडी और अतिरिक्त अधिभार की कटौती नहीं की, जिसे वितरण कंपनियों को दिया जा सकता था।

अगस्त 2019 में, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने तीन उत्पादकों से ₹ 71.37 करोड़[18] की राशि के लागू प्रभारों की वसूली के लिए नोटिस जारी किए। उन्होंने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष इसे चुनौती देते हुए बताया कि 10 साल की अवधि के बाद वसूली के लिए नोटिस जारी करना अन्यायपूर्ण, मनमाना और बाद में सोचा गया है। कैप्टिव जेनरेटरों और हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र को सुनने के बाद हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने निर्देश दिया (जुलाई 2020) कि दोनों विभागों (विद्युत और सहकारी विभागों) के प्रशासनिक सचिवों के स्तर पर चर्चा के माध्यम से इस मुद्दे को पारस्परिक रूप से हल किया जाए।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (2) के अनुसार, यदि बिजली का दावा पहली देय होने की तारीख से दो साल के भीतर नहीं किया जाता है, तो उन्हें तब तक वसूल नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें लगातार बकाया के रूप में नहीं दिखाया जाता है। हालांकि, यह अवलोकित किया गया था कि वसूली का नोटिस पहली बार अगस्त 2019 में ही जारी किया गया था। इसलिए वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक ₹ 71.37 करोड़ की राशि में से ₹ 35.84 करोड़ की राशि की वसूली संदेहास्पद है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र

---

17 (i) शाहबाद को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, कुरुक्षेत्र (ii) हरियाणा को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स, रोहतक और (iii) नारायणगढ़ शुगर मिल्स लिमिटेड, अंबाला।

18 शाहबाद को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, कुरुक्षेत्र से ₹ 32.92 करोड़; हरियाणा को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स, रोहतक से ₹ 28.48 करोड़ और नारायणगढ़ शुगर मिल्स लिमिटेड, अंबाला से ₹ 9.97 करोड़।

भले ही वितरण कंपनियों की ओर से पूरी राशि की वसूल करता है, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने में विफलता के कारण पहले ही ₹ 26.43 करोड़ (मार्च 2020 तक) के ब्याज की हानि उठा चुका है।

ख) न्यूनतम वैकल्पिक कर/कॉर्पोरेट कर का अधिक भुगतान

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र को केवल नवीकरणीय बिजली उत्पादकों को इक्विटी पर रिटर्न पर लागू दरों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर/कॉर्पोरेट कर की प्रतिपूर्ति करना अपेक्षित था। तथापि, यह अवलोकित किया गया कि हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र वास्तविक लाभ के आधार पर इन उत्पादकों को न्यूनतम वैकल्पिक कर/कॉर्पोरेट कर का भुगतान कर रहा था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (मार्च 2020) और ऐसे अन्य मामलों की समीक्षा करने के बाद, हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने संबंधित उत्पादकों के साथ मामले को उठाया (जून 2020) और उन्हें भुगतान की गई अतिरिक्त राशि ब्याज के साथ वापस करने के लिए कहा। परिणामस्वरूप, तीन उत्पादकों ने ₹ 5.79 करोड़[19] के क्रेडिट नोट जारी किए (मार्च, मई, जून 2020)।

इस प्रकार, आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्युत उत्पादकों को किए गए अधिक भुगतान का पता लगाने में विफल रहा।

प्रबंधन ने सूचित किया (मार्च 2021) कि अब विशेष जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी गलती न हो और अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि भुगतान करते समय विनियमन/अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करने में सतर्क रहें।

निष्कर्ष

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र ने निजी उत्पादकों से महंगी बिजली खरीदने और गलत मेरिट आर्डर तैयार करने में, जो कि परिहार्य था, ₹ 209.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया, जिससे राज्य के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ा। कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि कमी 18.64 प्रतिशत और 90.55 प्रतिशत के मध्य थी। वहनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था। बिजली की खरीद के भुगतान के संबंध में आंतरिक नियंत्रण लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए गलत भुगतानों के उदाहरणों का पता लगाने में सक्षम नहीं थे।

यह सिफारिश की जाती है कि हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र, उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए दीर्घ अवधि/मध्यम अवधि के अनुबंध करते समय लागत लाभ विश्लेषण करे ताकि इष्टतम लागत पर बिजली खरीदी जा सके। कंपनी के नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों को पूरा करने का प्रयास किया जाए ताकि सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सब्सिडी के दावों एवं बिजली की खरीद के लिए भुगतान के संबंध में आंतरिक नियंत्रण को मजबूत किया जाए।

---

[19] मैसर्ज जेमको एनर्जी लिमिटेड: ₹ 2.42 करोड़, स्टारवायर (इंडिया) विद्युत प्राइवेट लिमिटेड: ₹ 2.56 करोड़ और श्री ज्योति रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड: ₹ 0.81 करोड़।

मामला सरकार और हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र के पास भेजा गया था (मार्च 2021); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2021)।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.2 *म्हारा गांव जगमग गांव योजना का कार्यान्वयन*

योजना के कार्यान्वयन के सभी चरणों में अक्षमताओं के कारण योजना का कार्यान्वयन धीमा था और इसके आरंभ (जुलाई 2015) के पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 972 ग्रामीण घरेलू आपूर्ति फीडरों में से 295 अभी तक (जनवरी 2021) पूर्ण नहीं हुए थे। कार्यों के पूरा होने में विलंब के साथ-साथ पूरा न होने के कारण कंपनी को ₹ 786.54 करोड़ का संभावित राजस्व छोड़ना पड़ा जो कि कंपनी द्वारा प्रसारण एवं वितरण हानियों के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करके प्राप्त किया जा सकता था।

3.2.1 प्रस्तावना

राज्य की बिजली वितरण कंपनियां उच्च प्रसारण एवं वितरण हानि का सामना कर रही थीं। इसने उनकी कम बिलिंग और संग्रहण दक्षता के साथ मिलकर उनके वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों पर प्रसारण एवं वितरण हानियों[20] को कम करने और संग्रहण दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से म्हारा गांव जगमग गांव योजना शुरू की (जुलाई 2015)।

योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट मील पत्थरों के अनुपालन पर चरणबद्ध तरीके से गांवों में बिजली की आपूर्ति मौजूदा 12 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे की जानी थी। योजना के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों में एरियल बंच्ड केबल के साथ-साथ बेयर लो-टेंशन कंडक्टरों को बदलना, खराब/पुराने बिजली मीटरों को बदलना, बिजली मीटरों को उपभोक्ता परिसर के बाहर स्थानांतरित करना, वितरण नेटवर्क का रखरखाव आदि शामिल था। शुरू में 83 राज्य विधानसभा क्षेत्रों (ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाले) में से प्रत्येक में एक ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडर पर लागू की गई (जुलाई 2015) योजना को पूरे राज्य को कवर करने के लिए चरणों में विस्तारित (मार्च 2016 और मार्च 2017 के मध्य) किया गया था। 31 मार्च 2020 तक योजना के कार्यान्वयन पर किया गया कुल व्यय ₹ 203.01 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) द्वारा म्हारा गांव जगमग गांव योजना के कार्यान्वयन में की गई गतिविधियों की समीक्षा (अक्तूबर 2020 से

[20] तकनीकी एवं व्यावसायिक कारणों से उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि होती है। तकनीकी हानियां एक प्रणाली में निहित होती हैं जो कंडक्टरों, ट्रांसफार्मरों और बिजली के वितरण एवं प्रसारण के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरणों में ऊर्जा के क्षय के कारण होती हैं। हुकिंग, मीटर को बायपास करके चोरी, खराब मीटर, मीटर रीडिंग में त्रुटि आदि व्यावसायिक हानि के मुख्य स्रोत हैं।

जनवरी 2021) की, जो नौ[21] परिचालन परिमंडलों के माध्यम से हरियाणा के 10 जिलों[22] में कार्य करती है। इस समीक्षा के लिए, लेखापरीक्षा ने म्हारा गांव जगमग गांव योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए नौ परिचालन परिमंडलों में से पांच[23] परिचालन परिमंडलों का चयन किया, परिमंडलों के निष्पादन पर विचार किए बिना, कोविड-19 के संचलन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए; संयोग से इनमें से अधिकतर परिमंडल बेहतर निष्पादन करने वाले मंडल थे। चयनित पांच परिमंडलों के संबंध में 512 ग्रामीण घरेलू आपूर्ति फीडरों के संबंध में निष्पादित सभी कार्यों को लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या योजना की आयोजना दक्षतापूर्वक की गई थी, योजना के अंतर्गत कार्यों को मितव्ययिता और कुशलता से निष्पादित किया गया था और योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया था।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.2.2 परियोजना की आयोजना

(क) योजना के लिए समय-सीमा का गैर-विनिर्देशन

हरियाणा सरकार द्वारा म्हारा गांव जगमग गांव योजना, इसके कार्यान्वयन के लिए किसी समयसीमा के बिना शुरू (जुलाई 2015) की गई थी। कंपनी ने आवधिक रूप से योजना की प्रगति की निगरानी के लिए कोई आंतरिक समय-सीमा भी निर्दिष्ट नहीं की। परिणामस्वरूप, कंपनी योजना के अंतर्गत कार्यों में तेजी लाने के लिए समय पर कदम नहीं उठा सकी।

तथापि, हरियाणा सरकार ने योजना के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने तथा प्रसारण एवं वितरण हानियों को 20 प्रतिशत से कम करने के लिए जिलावार समय-सीमा विलम्ब से निर्धारित (फरवरी 2017) की।

नीचे दी गई तालिका जनवरी 2021 तक म्हारा गांव जगमग गांव के कार्यों के लिए पूरा किए जाने वाले परिमंडल-वार फीडरों की संख्या, लक्ष्य तिथियां और उनके विरूद्ध प्रगति को दर्शाती है:

तालिका 3.4: म्हारा गांव जगमग गांव के कार्यों को पूरा करने की जिलावार लक्षित एवं वास्तविक तिथियां

क्र. सं.	जिले का नाम	पूर्ण किए जाने वाले फीडरों की संख्या	पूर्णता लक्ष्य	वास्तव में पूर्ण किए गए फीडरों की संख्या	वास्तविक पूर्णता तिथि	विलंब (महीनों में)	पूर्णता की प्रतिशतता
1	अंबाला	51	अप्रैल 2017	51	अक्तूबर 2018	17	100
2	पंचकुला	20	नवंबर 2016	20	नवंबर 2016	-	100
3	यमुनानगर	98	दिसंबर 2017	98	जनवरी 2021	37	100
4	कुरूक्षेत्र	98	मार्च 2018	98	अप्रैल 2019	13	100
5	करनाल	143	जून 2018	143	अगस्त 2020	26	100

[21] अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, रोहतक, झज्जर, सोनीपत और यमुनानगर।

[22] अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, रोहतक, झज्जर, सोनीपत और यमुनानगर।

[23] अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और यमुनानगर।

क्र. सं.	जिले का नाम	पूर्ण किए जाने वाले फीडरों की संख्या	पूर्णता लक्ष्य	वास्तव में पूर्ण किए गए फीडरों की संख्या	वास्तविक पूर्णता तिथि	विलंब (महीनों में)	पूर्णता की प्रतिशतता
6	कैथल	143	मार्च 2018	122	प्रगति में	34	85.31
7	पानीपत	81	दिसंबर 2017	42	प्रगति में	37	51.85
8	झज्जर	91	जून 2018	24	प्रगति में	31	26.37
9	सोनीपत	141	जून 2018	48	प्रगति में	31	34.04
10	रोहतक	106	जून 2018	31	प्रगति में	31	29.24
	कुल	**972**		**677**			**69.65**

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों/आंकड़ों पर आधारित संकलन

जबकि चार जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर के अंतर्गत काम पूरा हो चुका था और कैथल जिले में लगभग 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था, शेष चार जिलों (पानीपत, झज्जर, सोनीपत और रोहतक) में प्रगति धीमी थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि धीमी प्रगति परियोजना कार्यान्वयन के सभी चरणों अर्थात् आयोजना, आवंटन और निष्पादन में देखी गई अक्षमताओं के कारण थी।

प्रबंधन ने बताया (नवंबर 2020) कि योजना को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई थी, हालांकि सरकार की इच्छा सभी गांवों को जल्द से जल्द 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने की थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी भी परियोजना के निष्पादन में समय-सीमा के महत्व को देखते हुए, कंपनी को अपने लिए समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए थी, भले ही सरकार ने इसे निर्दिष्ट न किया हो। इसके अतिरिक्त, कंपनी कई जिलों के संबंध में बाद में सरकार द्वारा तय की गई समय-सीमा का भी पालन नहीं कर सकी।

(ख) टर्नकी आधार पर कार्यों को प्रदान करने में विलम्बित निर्णय

2015-16 से 2017-18 के दौरान, कंपनी ने कंपनी के भंडारों से सामग्री के साथ और अनुबंध के आधार पर श्रमिकों को नियुक्त करके म्हारा गांव जगमग गांव के कार्यों को विभागीय रूप से निष्पादित किया। चूंकि 2016-17 और 2017-18 में योजना की प्रगति बहुत धीमी थी (इस अवधि के दौरान केवल 79 फीडरों अर्थात् (8.22 प्रतिशत) को कवर किया जा सका), कंपनी ने टर्नकी आधार पर आंशिक कार्यों को देने का निर्णय लिया (अक्तूबर 2017)। इसके बाद, हालांकि योजना के कार्यान्वयन में तेजी आई, जनवरी 2021 तक प्राप्त की गई समग्र प्रगति अभी भी ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों के मामले में 69.65 प्रतिशत थी। नीचे दी गई तालिका विभागीय और टर्नकी आधार पर निष्पादित कार्यों के संबंध में जनवरी 2021 तक ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडर-वार प्रगति दर्शाती है:

तालिका 3.5: विभागीय और टर्नकी आधार पर लिए गए ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों की स्थिति

निष्पादन का प्रकार	ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडर		
	कवर किए गए फीडर (संख्या)	पूर्ण किए गए फीडर (संख्या)	प्रगति (प्रतिशत)
विभागीय रूप से (जुलाई 2015 से जनवरी 2021 तक)	765	499	65.23
टर्नकी आधार पर (अक्तूबर 2017 से जनवरी 2021 तक)	207	178	85.99
कुल	**972**	**677**	**69.65**

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई प्रगति रिपोर्टों/आंकड़ों पर आधारित संकलन

जबकि विभागीय रूप से निष्पादित कार्यों को पूरा करने में देरी को आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त सामग्री (विशेषकर पोल और मीटर) की अनुपलब्धता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, टर्नकी अनुबंधों के अंतर्गत धीमी प्रगति का कारण अपात्र फर्मों को कार्य सौंपना या बोलीदाताओं की क्षमता और योग्यता के आकलन के बिना था जैसा कि आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

(ग) सामग्री का अविवेकपूर्ण चयन

म्हारा गांव जगमग गांव योजना का प्राथमिक उद्देश्य बिजली की चोरी पर अंकुश लगाकर और बिलिंग और संग्रह दक्षता में सुधार करके ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों पर प्रसारण एवं वितरण हानियों को कम करना था।

कंपनी ने योजना के प्रारंभिक चरण में फीडरों में रबड़ वाली एरियल बंच्ड केबल का उपयोग किया। हालांकि, प्रसारण एवं वितरण हानियों में कमी को अपेक्षित स्तर पर नहीं पाया गया। यह महसूस किया गया कि अवैध रूप से बिजली लेने के लिए बेईमान तत्वों द्वारा रबड़ वाली एरियल बंच्ड केबलों को कीलों से पंचर किए जाने की संभावना थी। इसलिए, कंपनी ने टर्नकी आधार पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों में आर्मर्ड[24] केबल का उपयोग करने का निर्णय (सितंबर 2017) लिया।

हमने अवलोकित किया कि चयनित परिचालन परिमंडलों[25] में से चार परिचालन परिमंडलों के 11 फीडरों में पहले से लगी हुई 46.215 किलोमीटर एरियल बंच्ड केबल को जनवरी 2021 तक आर्मर्ड केबल से बदल दिया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2015-17 के दौरान एरियल बंच्ड केबल की खरीद (₹ 73.90 लाख) तथा स्थापना एवं निराकरण (₹ 10.33 लाख) पर किया गया ₹ 84.23 लाख का व्यय व्यर्थ साबित हुआ।

---

[24] विद्युत वितरण में, आर्मर्ड केबल का अर्थ है स्टील के तार वाली आर्मर्ड केबल जो कि मुख्य बिजली की आपूर्ति के लिए डिज़ाइन की गई एक हार्ड-वियरिंग पावर केबल है।

[25] अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल।

3.2.3 अनुबंधों की प्रदानगी

(क) समग्र योग्यता मानदंड पर विचार किए बिना अनुबंधों की प्रदानगी

कंपनी ने टर्नकी आधार पर म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत तीन परिचालन परिमंडलों के छ: मंडलों[26] में ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों से संबंधित कार्यों[27] के निष्पादन के लिए दो भागों में अल्पकालिक बोलियां आमंत्रित (अक्तूबर 2017) की। योग्य बोलीदाताओं की तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों (भाग-1) और मूल्य बोलियों (भाग-2) के मूल्यांकन (नवंबर 2017) के बाद सभी छ: मंडलों के संबंध में कार्य एक ही पार्टी - मैसर्ज ईश्वर सिंह एंड एसोसिएट्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, हिसार (मैसर्ज ईश्वर) जो सभी मामलों में एल1 बोलीदाता निकला, को ₹ 98.77 करोड़ की लागत पर दिया गया (दिसंबर 2017)।

संभावित बोलीदाताओं की तरलता स्थिति का मूल्यांकन अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का निर्धारण करने एवं पर्याप्त नकदी के साथ निरंतर परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण था, जबकि अपर्याप्त नकदी वाली कंपनियां आवश्यक गति से काम करने और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि बोली दस्तावेजों में, चल परिसंपत्तियों से संबंधित वित्तीय मानदंड अनुमानित लागत के 25 प्रतिशत के बराबर निर्धारित किया गया था। हालांकि, मैसर्ज ईश्वर के पक्ष में कार्यों की संख्या तय करते समय इस मानदंड को पूरा करना समग्र रूप से सुनिश्चित नहीं किया गया था। मैसर्ज ईश्वर की ₹ 13.79 करोड़ की चल परिसंपत्तियों को देखते हुए, वे ₹ 58.83 करोड़ के प्रदानगी मूल्य के साथ अधिकतम चार ठेके[28] देने के पात्र थे। इस प्रकार, एक फर्म को निविदा शर्तों का उल्लंघन करते हुए ₹ 39.94 करोड़[29] मूल्य के दो ठेके दिए गए, जिसके लिए उसके पास अपेक्षित नकदी नहीं थी।

---

[26] परिचालन परिमंडल कैथल (बी-523) के अंतर्गत गुहला मंडल के लिए निविदा 1, परिचालन परिमंडल कुरुक्षेत्र (बी-524 से 526) के अंतर्गत कुरुक्षेत्र, पेहोवा एवं शाहबाद मंडल, परिचालन परिमंडल पानीपत के अंतर्गत समालखा (बी 527) एवं उपनगरीय मंडल पानीपत (बी-528) और परिचालन परिमंडल यमुनानगर के अंतर्गत जगाधरी एवं नारायणगढ़ मंडलों के लिए निविदा 2 ।

[27] सामग्री/उपकरणों की आपूर्ति, इरेक्शन, परीक्षण और चालू करना, आर्मर्ड केबल के साथ बेयर कंडक्टर के प्रतिस्थापन के लिए मौजूदा ओवरहेड लाइनों/सामग्री का विघटन, मीटर का उपभोक्ता के परिसर से बाहर स्थानांतरण और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर, चोरी प्रवण मीटर, खराब मीटर का प्रतिस्थापन, आदि।

[28] बोली संख्या 523, 525, 526 और 528 के विरूद्ध अनुमानित लागत क्रमशः (₹ 14.73 करोड़), (₹ 14.49 करोड़), (₹ 11.90 करोड़) और (₹ 10.31 करोड़) कुल अनुमानित लागत (₹ 51.43 करोड़)।

[29] बोली संख्या 524 और 527 के विरूद्ध अनुबंधों का प्रदानगी मूल्य अनुमानित लागत क्रमशः (₹ 18.22 करोड़) और (₹ 16.70 करोड़); प्रदानगी मूल्य क्रमशः (₹ 20.84 करोड़) और (₹ 19.10 करोड़)।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2019) कि चल परिसंपत्तियों को व्यक्तिगत रूप से एन.आई.टी. के प्रावधानों के अनुसार माना गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अर्हकारी आवश्यकता पर व्यक्तिगत रूप से विचार करना विवेकपूर्ण नहीं था जब चयनित ठेकेदार वही था, विशेष रूप से जब कंपनी को तत्काल आधार पर निविदा को अंतिम रूप देने की आवश्यकता थी जिसके लिए उसे अल्पकालिक खुली निविदा में हिस्सा लेना था। ठेकेदार का निराशाजनक निष्पादन (56.48 प्रतिशत) आगे तरलता स्थिति के प्रभाव की पुष्टि करता है जैसा कि नीचे अनुच्छेद 3.2.4 (क) में चर्चा की गई है।

(ख) अनुबंधों की अनियमित प्रदानगी

कंपनी ने परिचालन परिमंडल यमुनानगर के अंतर्गत उप-शहरी मंडल जगाधरी में म्हारा गांव जगमग गांव के अंतर्गत टर्नकी आधार पर किए जाने वाले कार्यों के लिए दो भागों में निविदाएं[30] आमंत्रित (नवंबर 2017) की। कार्यों की अनुमानित लागत ₹ 33.25 करोड़ थी। प्राप्त तीन बोलियों के मूल्यांकन के बाद, कंपनी ने एल1 फर्म, मैसर्ज ईश्वर को ₹ 38.58 करोड़ की लागत पर ठेका दिया (फरवरी 2018)।

निविदा की शर्तों के अनुसार, बोलीदाताओं को कार्य की अनुमानित लागत के 25 प्रतिशत, अर्थात ₹ 8.31 करोड़ (₹ 33.25 करोड़ की अनुमानित लागत का 25 प्रतिशत), के बराबर चल संपत्ति प्रदर्शित करना अपेक्षित था। निविदा की शर्तों में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि चल संपत्ति की गणना के लिए अंतिम स्टॉक, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस और सावधि जमा प्राप्तियों/निवेश पर ही विचार किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने चल संपत्ति के हिस्से के रूप में ₹ 36.59 करोड़ के देनदारों को शामिल करके मैसर्ज ईश्वर की बोली को वित्तीय रूप से उत्तरदायी घोषित किया। यदि देनदारों को शामिल नहीं किया जाता तो मैसर्ज ईश्वर की चल संपत्ति ₹ 8.31 करोड़ के मानक की तुलना में केवल ₹ 3.94 करोड़ परिकलित होती। इस प्रकार, देनदारों को बोली दस्तावेजों में चल संपत्ति की गणना के लिए निर्धारित कार्यप्रणाली के विरूद्ध अंतिम स्टॉक के हिस्से के रूप में मानते हुए कंपनी ने ठेकेदार को ठेका प्रदान किया।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2021) कि 120 दिनों से कम के देनदारों को नकदी का भाग इसलिए माना गया था कि फर्म के पास 120 दिनों से कम के देनदारों और स्टॉक के विरूद्ध बैंक द्वारा स्वीकृत नकद ऋण सीमा थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि केवल अंतिम स्टॉक, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस और सावधि जमा प्राप्तियों/निवेश को ही चल संपत्ति की गणना के लिए लिया जाएगा।

[30] बोली संख्या 534

3.2.4 परियोजना क्रियान्वयन

(क) कार्य पूर्ण होने में देरी

(i) ठेकों की प्रदानगी में ऊपर अनुच्छेद 3.2.3 (क) और (ख) में चर्चा किए गए एल1 बोलीदाता की वित्तीय क्षमता को प्रभावित करने वाली अनियमितताओं के कारण ठेकेदार किसी भी आवंटित फीडर पर निर्धारित समय में कार्य पूरा करने में सक्षम नहीं था। ठेकेदार मैसर्ज ईश्वर को दिए गए आठ में से छः ठेके छः से 29 महीनों की देरी के साथ पूरे किए गए थे, जबकि दो ठेकों के अंतर्गत कार्य अभी भी (जनवरी 2021) लंबित था, हालांकि 25-26 महीने की देरी पहले ही हो चुकी थी। 31 जनवरी 2021 को कार्य की ठेकावार स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 3.6: मैसर्ज ईश्वर को दिए गए कार्यों की स्थिति

परिचालन परिमंडल का नाम	परिचालन मंडल का नाम	एल.ओ.आई. की तिथि	पूर्णता की निर्धारित तिथि	वास्तविक पूर्णता	देरी (महीनों में)
कैथल	गुहला	14.12.2017	13.06.2018	नवंबर 2020	29
कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	14.12.2017	13.10.2018	अप्रैल 2019	6
	पेहोवा	14.12.2017	13.06.2018	अप्रैल 2019	10
	शाहबाद	14.12.2017	13.06.2018	अप्रैल 2019	10
पानीपत	समालखा	14.12.2017	13.10.2018	प्रगति में	26
	उप-शहरी पानीपत	14.12.2017	13.06.2018	अक्तूबर 2020	28
यमुना नगर	जगाधरी	03.01.2018	02.11.2018	प्रगति में	25
	नारायणगढ़	03.01.2018	02.07.2018	जुलाई 2020	24

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों/आंकड़े पर आधारित संकलन

उपर्युक्त देरी के परिणामस्वरूप, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा सका। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त चार चयनित परिचालन परिमंडलों में से तीन में कार्यों के देरी से पूर्ण होने के कारण बिजली की हानि से कंपनी को ₹ 75.62 करोड़[31] के राजस्व की हानि भी हुई। यद्यपि कंपनी ने ठेकेदार से अनुबंध की शर्तों के अनुसार लिक्विडेटिड डैमेजिज के ₹ 5.99 करोड़ वसूल किए, फिर भी चयनित परिमंडलों में ₹ 69.63 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(ii) कंपनी ने म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए टर्नकी आधार पर पांच और ठेके (मैसर्ज ईश्वर के अतिरिक्त अन्य ठेकेदार) दिए (दिसंबर 2017 और जून 2018 के मध्य)। ये सभी पांच ठेके संबंधित निर्धारित पूर्णता तिथियों से चार से 16 महीने के बीच की देरी के साथ पूरे किए गए थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

[31] वर्ष 2019-20 के दौरान घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से ₹ 4.82 प्रति यूनिट औसत वसूली की दर पर कार्य पूरा होने से पहले और बाद में संबंधित ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों में प्रसारण एवं वितरण हानि स्तर की तुलना करके परिकलित किया गया।

तालिका 3.7: म्हारा गांव जगमग गांव के अंतर्गत विलंब से पूर्ण किए गए ठेकों के विवरण

परिचालन परिमंडल का नाम	परिचालन मंडल का नाम	एल.ओ.आई. की तिथि	पूर्णता की निर्धारित तिथि	वास्तविक पूर्णता	देरी (महीनों में)
करनाल	शहर	14.12.2017	13.06.2018	मई 2019	11
	उप-शहरी- 1	14.12.2017	13.10.2018	जुलाई 2019	9
	उप-शहरी- 2	11.06.2018	10.04.2019	अगस्त 2020	16
	असंध	11.06.2018	10.04.2019	अगस्त 2020	16
यमुना नगर	यमुना नगर	03.01.2018	02.11.2018	मार्च 2019	4

स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों/आंकड़े पर आधारित संकलन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी द्वारा अनुबंध प्रबंधन में कमी के कारण, ठेकेदार समय पर पर्याप्त श्रम और सामग्री की व्यवस्था करने में विफल रहे। यद्यपि, कंपनी ने अनुबंधों की शर्तों के अनुसार लिक्विडेटिड डैमेजिज के कारण संबंधित ठेकेदारों से ₹ 3.99 करोड़ वसूल किए, राजस्व की संभावित हानि ₹ 54 करोड़[32] आंकी गई।

(ख) पूर्ण किए गए फीडरों में प्रसारण एवं वितरण हानियों में लक्षित कमी की प्राप्ति न होना

म्हारा गांव जगमग गांव योजना का उद्देश्य बिजली की प्रसारण एवं वितरण हानि को 20 प्रतिशत से नीचे लाना है और अंततः निम्नलिखित चरण-वार लक्ष्यों के साथ ग्रामीणों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करना है:

तालिका 3.8: आपूर्ति के घंटों में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए शर्तें

आपूर्ति के घंटे	शर्तें
12 से 15 घंटे	म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत फीडर का चयन।
15 से 18 घंटे	मीटरों का स्थान परिवर्तन करना एवं बदलना और नंगे एल.टी. कंडक्टर को ए.बी. केबल से बदलना।
18 से 21 घंटे	20 प्रतिशत तक तकनीकी हानि की अनुमति देने के बाद आपूर्ति की गई बिजली के 90 प्रतिशत की सीमा तक बिलों का भुगतान।
21 से 24 घंटे	कुल भुगतान चूक राशि 10 प्रतिशत से नीचे आती है।

स्रोत: म्हारा गांव जगमग गांव योजना का आंकड़ा

जनवरी 2021 तक, 972 ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों में से 677 ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों का काम पूरा हो गया था और इन सभी फीडरों पर 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की अनुमति थी। तथापि, म्हारा ग्राम जगमग ग्राम योजना की शर्त के अनुसार प्रसारण एवं वितरण हानियों को 20 प्रतिशत से कम करने और समग्र चूक राशि को 10 प्रतिशत से कम करने की स्थिति सुनिश्चित नहीं की गई थी। कंपनी के निदेशक मंडल ने इन शर्तों में ढील दी (मार्च 2019) और योजना की शुरुआत से प्रसारण एवं वितरण हानियों में पर्याप्त कमी और संग्रहण दक्षता में वृद्धि पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की अनुमति दी। कंपनी ने राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शर्तों में ढील दी।

[32] वर्ष 2019-20 के दौरान घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से ₹ 4.82 प्रति यूनिट औसत वसूली की दर पर कार्य पूरा होने से पहले और बाद में संबंधित ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों में प्रसारण एवं वितरण हानि स्तर की तुलना करके परिकलित किया गया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2018-19 तक पूर्ण किए गए फीडर प्रसारण एवं वितरण हानि में कमी के इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके जैसा कि नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका 3.9: पूर्णता के बाद लक्षित हानि स्तर को प्राप्त करने में विफल रहने वाले फीडरों के विवरण

वर्ष	वर्ष के दौरान पूर्ण किए गए फीडरों की संख्या	20 प्रतिशत से अधिक प्रसारण एवं वितरण हानियों वाले फीडरों की संख्या			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
2015-16	16	12	12	7	8
2016-17	86	-	41	38	28
2017-18	110	-	-	60	54
2018-19	137	-	-	-	75
कुल	**349**	**12**	**53**	**105**	**165**

स्रोत: कंपनी के एनर्जी ऑडिट विंग द्वारा प्रदान किए गए ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडर प्रसारण एवं वितरण हानियों के सॉफ्ट डाटा पर आधारित संकलन।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2019 तक पूर्ण किए गए 349 ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों में से 165 फीडरों (47.28 प्रतिशत) ने अभी भी 20 प्रतिशत से अधिक प्रसारण एवं वितरण हानि दर्ज की और इस तरह वे उनके पूरा होने के एक से चार साल के बाद भी लक्षित हानि में कमी लाने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, 2016-17 से 2019-20 के दौरान 20 प्रतिशत के मानक से अधिक ₹ 126.60 करोड़[33] मूल्य की 243.92 मिलियन यूनिट बिजली की हानि हुई।

योजना के अंतर्गत उनके पूरा होने के बावजूद उपर्युक्त फीडरों पर हानि में कमी के कारणों का पता लगाने के लिए कंपनी द्वारा एक आंतरिक अभ्यास किया गया था। परिणामों से पता चला कि निष्पादन के दौरान खराब कार्य-कौशल, कार्य पूरा होने के बाद निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई की कमी और आर्मर्ड केबल के बजाय एबी केबल के उपयोग के कारण हानि को कम नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि 340 ग्रामीण घरेलू आपूर्ति फीडरों (लेखापरीक्षा में शामिल 512 में से) के मामले में, जहां कार्य विभागीय रूप से निष्पादित किए गए थे, वहां कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन योजना की कोई व्यवस्था नहीं थी। शेष 172 ग्रामीण घरेलू आपूर्ति फीडरों, जो टर्नकी आधार पर निष्पादित किए गए थे, के संबंध में तीसरे पक्ष की निगरानी के रूप में ऐसा तंत्र मौजूद था।

(ग) अधूरे फीडरों में उच्च प्रसारण एवं वितरण हानियों के कारण परित्यक्त राजस्व

हालांकि इस योजना के शुरू होने के बाद पांच साल से अधिक समय बीत चुका है, 562 ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों में से पांच परिचालन परिमंडलों (कैथल, पानीपत, झज्जर, सोनीपत और रोहतक) के अंतर्गत 295 ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों पर कार्य अब तक (जनवरी 2021) पूरा

[33] घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से 2016-17 के लिए ₹ 6.33 प्रति यूनिट, 2017-18 के लिए ₹ 5.66 प्रति यूनिट, 2018-19 के लिए ₹ 5.32 प्रति यूनिट और 2019-20 के लिए ₹ 4.82 प्रति यूनिट की दर से औसत वसूली दर लेकर परिकलित।

नहीं हुआ है। 295 फीडरों में से 84 ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों पर कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया था और 48 ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों पर कार्य शुरू तो किया गया था, परंतु जन आक्रोश (जनवरी 2021) के कारण रोक दिया गया था, जबकि शेष 116 ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों पर कार्य प्रगति पर था (जनवरी 2021)।

नीचे दी गई तालिका परिमंडल-वार अपूर्ण ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों को दर्शाती है जहां प्रसारण एवं वितरण हानि का स्तर 20 प्रतिशत से अधिक था:

तालिका 3.10: 20 प्रतिशत से अधिक प्रसारण एवं वितरण हानि स्तर के साथ अपूर्ण ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडर

क्र. सं.	परिमंडल का नाम	फीडरों की संख्या	2019-20 के दौरान 20 प्रतिशत से अधिक प्रसारण एवं वितरण हानियों के साथ अपूर्ण ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडर				
			>50 प्रतिशत	40-50 प्रतिशत	30-40 प्रतिशत	20-30 प्रतिशत	कुल
1	कैथल	21	17	2	2	0	21
2	पानीपत	39	36	1	1	1	39
3	झज्जर	67	56	10	0	0	66
4	रोहतक	75	66	5	2	1	74
5	सोनीपत	93	84	7	1	0	92
कुल		**295**	**259**	**25**	**6**	**2**	**292**

स्रोत: कंपनी के एनर्जी ऑडिट विंग द्वारा प्रदान किए गए ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडर प्रसारण एवं वितरण हानियों के सॉफ्ट डाटा पर आधारित संकलन।

यह देखा जा सकता है कि 295 अपूर्ण ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों में से 292 फीडरों ने 20 प्रतिशत से अधिक हानि दर्ज की। इन 292 फीडरों में से 259 फीडरों में 50 प्रतिशत से अधिक हानि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, 292 ग्रामीण वितरण आपूर्ति फीडरों में जहां हानि स्तर 20 प्रतिशत से अधिक था, अकेले 2019-20 के दौरान राजस्व की संभावित हानि ₹ 530.32 करोड़[34] परिकलित की गई।

कंपनी को पहले से दिए गए कार्यों के निष्पादन में तेजी लानी चाहिए और योजना की भावना के अनुसार प्रसारण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सौंपना चाहिए।

(घ) ए.सी.एस.आर. कंडक्टर स्क्रैप की कम प्राप्ति

म्हारा गांव जगमग गांव योजना के कार्यान्वयन के लिए टर्नकी आधार पर कंपनी द्वारा दिए गए कार्य आदेश संख्या 13 के अनुसार, एल्युमीनियम कंडक्टर स्टील रिइनफोर्स्ड कंडक्टर को लो-टेंशन आर्मर्ड केबल से बदला जाना था और विघटित कंडक्टर को समुचित रूप से लेखाबद्ध किया जाना था और कंपनी के स्टोर में जमा करवाना था। परिचालन परिमंडल सिटी, करनाल की बोली संख्या 519 के विरूद्ध जहां ठेकेदार का फाइनल बिल अंतिमकृत किया गया था, वहां विघटित कंडक्टर को समुचित रूप से लेखाबद्ध नहीं किया गया था। इस ठेके के अंतर्गत अंतिम

[34] वर्ष 2019-20 में घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट प्राप्ति दर (₹ 4.82) के साथ प्रसारण एवं वितरण हानियों के 20 प्रतिशत (1100.26 मिलियन यूनिट) से अधिक होने के कारण खोए हुए मिलियन यूनिट को गुणा करके परिकलित किया गया।

चरण सर्वेक्षण के अनुसार, ₹ 31.30 लाख[35] मूल्य के 153.48 किलोमीटर एल्युमीनियम कंडक्टर स्टील रिइनफोर्स्ड कंडक्टर को विघटित किया जाना था। इस अनुमानित मात्रा के विरूद्ध ठेकेदार ने ₹ 19.28 लाख मूल्य के 94.53 किलोमीटर एल्युमीनियम कंडक्टर स्टील रिइनफोर्स्ड स्क्रैप (153.48 किलोमीटर - 58.95 किलोमीटर) की कमी छोड़ते हुए कंपनी के स्टोर में केवल 58.95 किलोमीटर एल्युमीनियम कंडक्टर स्टील रिइनफोर्स्ड कंडक्टर स्क्रैप जमा किया (जनवरी 2019 और फरवरी 2019 के मध्य)। कंपनी ने ठेकेदार से इसकी वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। शेष 12 बोलियों से संबंधित ठेकेदारों के बिलों को अभी तक (जनवरी 2021) अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान, प्रबंधन ने योजना की प्रगति से अवगत कराया और बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए टर्नकी कार्यों को पूरा कर लिया गया है तथा विभागीय कार्यों के इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

योजना के कार्यान्वयन के सभी चरणों, अर्थात् योजना बनाना, कार्यों का आवंटन और उनका निष्पादन, में अक्षमताओं के कारण योजना का कार्यान्वयन धीमा था। इसके आरंभ (जुलाई 2015) के पांच साल से अधिक समय के बाद भी, 972 ग्रामीण घरेलू आपूर्ति फीडरों में से 295 अभी तक (जनवरी 2021) पूर्ण नहीं हुए थे। कार्यों को पूरा करने में देरी/पूरा न करने के कारण कंपनी को प्रसारण एवं वितरण हानियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के कारण ₹ 786.54 करोड़[36] के संभावित राजस्व को छोड़ना पड़ा। 349 फीडरों (मार्च 2019 तक पूर्ण) पर कार्य पूरा होने के बाद भी, 2019-20 के दौरान 165 फीडरों पर प्रसारण एवं वितरण हानि अभी भी 20 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है। इस प्रकार, बिजली की चोरी पर अंकुश लगाकर और बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में सुधार करके प्रसारण एवं वितरण हानियों को कम करने की योजना का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी को योजना की शेष परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रभावी निविदा प्रबंधन के द्वारा एक समयबद्ध योजना तैयार करनी चाहिए। कंपनी को योजना से परिकल्पित लाभों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने निगरानी तंत्र में भी सुधार करना चाहिए।

मामला सरकार और कंपनी के पास भेजा गया था (अप्रैल 2021); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2021)।

---

[35] 153.48 किलोमीटर x 213.6 किलोग्राम प्रति किलोमीटर (लो-टैंशन लाइनों में प्रयुक्त 50 मिलीमीटर रैबिट एल्युमीनियम कंडक्टर स्टील रिइनफोर्स्ड कंडक्टर से प्राप्त एल्यूमीनियम की औसत मात्रा) x ₹ 95.50 प्रति किलोग्राम एल्यूमीनियम स्क्रैप की दर।

[36] अनुच्छेद संख्या 3.2.4 (क), (ख) और (ग)।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.3 अंतरीय टैरिफ की अवसूली

कंपनी ने विद्युत आपूर्ति संहिता, 2014 के प्रावधानों के अनुसार संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा गलत श्रेणी में कनेक्शन स्वीकृत किए गए उपभोक्ता से ₹ 39.88 लाख के टैरिफ अंतर की वसूली नहीं की।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की विद्युत आपूर्ति संहिता, 2014 की धारा 8.6 (7) में प्रावधान है कि ऐसे मामलों में, जहां उपभोक्ता ने कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय आपूर्ति के उपयोग की श्रेणी को छुपाया नहीं था किंतु संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा गलत श्रेणी के अंतर्गत लोड स्वीकृत किया गया था, केवल कनेक्शन की तारीख से टैरिफ का अंतर वसूल किया जाएगा। भविष्य की बिलिंग लागू श्रेणी में की जाएगी और बिजली की आपूर्ति के अनधिकृत उपयोग या चोरी का कोई मामला नहीं बनाया जाएगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) ने एक उपभोक्ता[37] को उसके द्वारा अपने परिसरों के लिए किए गए आवेदन (फरवरी 2012) के संबंध में 'थोक घरेलू आपूर्ति[38]' श्रेणी में 350 किलोवाट के स्वीकृत लोड के साथ एक हाई टेंशन बिजली कनेक्शन जारी (जून 2012) किया।

कंपनी द्वारा उपभोक्ता परिसरों के सतर्कता निरीक्षण (अगस्त 2017) से पता चला कि वे वरिष्ठ नागरिकों को दैनिक/मासिक प्रभार्य आधार पर बोर्डिंग एंड लॉजिंग इत्यादि की सेवाएं प्रदान कर रहे थे और सिफारिश की कि उपभोक्ता से 'गैर-घरेलू आपूर्ति[39]' श्रेणी के अंतर्गत प्रभार लिया जाना चाहिए। तदनुसार, कंपनी ने उपभोक्ता को 30 दिनों के भीतर नए गैर-घरेलू आपूर्ति कनेक्शन के लिए आवेदन करने का निर्देश (अक्तूबर 2017) दिया जिसका अनुपालन (नवंबर 2017) किया गया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि यह संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा गलत श्रेणी में कनेक्शन जारी करने का मामला था, कंपनी ने विद्युत आपूर्ति संहिता, 2014 की लागू धारा 8.6 (7) के अनुसार कार्रवाई नहीं की, जिसमें उपभोक्ता से कनेक्शन की तारीख से लागू श्रेणी और प्रभारित श्रेणी के टैरिफ के मध्य अंतर के प्रभारण का प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने अनुमान लगाया कि निम्न टैरिफ श्रेणी (अर्थात, थोक घरेलू आपूर्ति) में कनेक्शन की तिथि (जून 2012) से इसके विच्छेदन (नवंबर 2017) तक के टैरिफ के अंतर की राशि ₹ 39.88 लाख उपभोक्ता से वसूल नहीं की गई थी।

---

37 मैसर्ज यू.सी.सी. केयर प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती यू.सी.सी. बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड)।

38 घरेलू लोड के बड़े हिस्से के साथ मिश्रित लोड वाली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों इत्यादि पर लागू टैरिफ श्रेणी।

39 सभी गैर-आवासीय परिसरों जैसे, बिजनेस हाउसिज, सिनेमा, क्लब, सार्वजनिक कार्यालयों, होटलों इत्यादि पर लागू टैरिफ श्रेणी।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2021) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अनुसार उपभोक्ता को टैरिफ अंतर की वसूली के लिए एक नोटिस दिया गया था (मार्च 2021)। परंतु, उपभोक्ता ने सिविल कोर्ट, फरीदाबाद में एक अदालती मामला दायर किया, जो अभी भी लंबित है (सितंबर 2021)।

इस प्रकार, प्रबंधन ने लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद ही अंतरीय राशि की वसूली के लिए कार्य किया।

यह सिफारिश की जाती है कि भविष्य में ऐसे मामलों में विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों को तत्काल लागू किया जाए।

मामला सरकार के पास भेजा गया था (फरवरी 2021); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2021)।

उद्योग और वाणिज्य

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

3.4 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के परिकल्पित लाभों की प्राप्ति न होना

पर्याप्त निगरानी/किसी उचित परिश्रम अध्ययन के बिना प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुपयुक्त संचालन के कारण ₹ 3.62 करोड़ का व्यय करने के बाद भी रोजगार देने के परिकल्पित लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदाता को ₹ 2.96 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

औद्योगिक मूलभूत संरचना के विकास के लिए नोडल एजेंसी, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) का लक्ष्य अपनी सामाजिक विकास पहल के अंतर्गत उन चिन्हित गांवों के निवासियों को रोजगार कौशल प्रदान करना है जहां कंपनी ने अपनी औद्योगिक संपदा स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया था। रोजगार कौशल कार्यक्रम कंपनी द्वारा क्षेत्र कौशल परिषदों[40] और उनके अनुमोदित प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से चलाए जाते हैं।

अगस्त 2017 में चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद[41], चेन्नई ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सामान्य मानकों (जुलाई 2015 और मई 2016) के आधार पर हरियाणा के 15,000 उम्मीदवारों को चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण[42] प्रदान करने के लिए कंपनी को एक प्रस्ताव भेजा। कंपनी ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और चमड़ा क्षेत्र कौशल

---

40 कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति, 2015 ने कौशल भारत मिशन की रूपरेखा तैयार की और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा क्षेत्र कौशल परिषदों के निर्माण की परिकल्पना की।

41 कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सेक्शन 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत एक कंपनी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित चमड़ा क्षेत्र में एक क्षेत्र कौशल परिषद।

42 घंटों में प्रशिक्षण की कुल अवधि: नौकरी की छः अलग-अलग भूमिकाओं जैसे, सिलाई करने वाला, काटने वाला, इत्यादि से संबंधित 200/500

परिषद के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया (अगस्त 2017)। सहमत भुगतान शर्तों के अनुसार, कंपनी को वैध उम्मीदवारों के प्रशिक्षण शुरू होने पर कुल प्रशिक्षण लागत[43] का 30 प्रतिशत (कार्य योजना प्रस्तुत करने पर मोबिलाइजेशन फीस के रूप में 10 प्रतिशत सहित), प्रशिक्षुओं के सफल प्रमाणीकरण पर 50 प्रतिशत और प्रशिक्षण पूरा होने के तीन महीने के भीतर रोजगार पाने पर शेष 20 प्रतिशत जारी करना था। रोजगार पर प्रशिक्षण लागत का 20 प्रतिशत जारी करना कम से कम 70 प्रतिशत प्रशिक्षुओं के रोजगार का एक बेंचमार्क था।

कंपनी ने साथ ही, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, ₹ 1.75 करोड़ की फीस पर एक वर्ष के लिए एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया (सितंबर 2017)। परियोजना प्रबंधन सलाहकार के कार्यक्षेत्र में कौशल विकास आवश्यकताओं को समझना, चरण-I के अंतर्गत समन्वित ढंग से कौशल विकास गतिविधियों की योजना बनाना और शुरू करना और चरण-2 के अंतर्गत कार्यक्रम का कार्यान्वयन शामिल था जिसमें परियोजना की निगरानी, प्रलेखन, रिपोर्टिंग और कार्यान्वयन चरण का समग्र उचित परिश्रम शामिल थे।

परियोजना प्रबंधन सलाहकार ने कौशल विकास कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की रिपोर्ट (अक्तूबर 2013) को अपनाया, जिसमें 2017-22 की एक पांच साल की अवधि में हरियाणा में चमड़े और जूते के क्षेत्रों के लिए संयुक्त वृद्धिशील मानवशक्ति की आवश्यकता केवल 5608 के रूप में इंगित की गई थी। कंपनी ने परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा तैयार कौशल विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए दिशानिर्देशों को क्रमशः दिसंबर 2017 और फरवरी 2018 में अनुमोदन दिया। हालांकि, कंपनी ने अनुमानित मांग के विपरीत, निगरानी और ट्रैकिंग दिशानिर्देशों के अनुमोदन से पहले नवंबर 2017 से फरवरी 2018 के दौरान 13,670 उम्मीदवारों वाले 476 बैचों के प्रशिक्षण के लिए अनुमोदन प्रदान किया। 15,003 उम्मीदवारों के सभी 523 बैचों को कंपनी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद के दावों पर, कंपनी ने 13,670 उम्मीदवारों के संबंध में कुल लागत के 30 प्रतिशत की पहली किस्त के लिए ₹ 6.58 करोड़ (₹ 1.01 करोड़ के वस्तु एवं सेवा कर सहित) का भुगतान जारी किया (दिसंबर 2017 से मार्च 2018)। कंपनी द्वारा 1,333 उम्मीदवारों के संबंध में भुगतान जारी नहीं किया गया था। चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद ने 4,648 उम्मीदवारों के संबंध में दूसरी किस्त के लिए ₹ 2.90 करोड़ का दावा भी किया (मार्च 2018) जिसे यद्यपि कंपनी द्वारा अनुमोदित (मार्च 2018) किया गया था, लेकिन कंपनी के नोडल विंग द्वारा उचित परिश्रम सुनिश्चित नहीं करने के लिए जारी नहीं किया गया था। इसके बाद, प्रबंधन ने नामांकित उम्मीदवारों के उचित परिश्रम अभ्यास, प्रशिक्षण केंद्रों की मूलभूत संरचना की जांच के लिए आदेश दिया (जुलाई 2018) और कार्यक्रम के अंतर्गत आगे की प्रतिबद्धताओं को रोक दिया। परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा किए गए उचित परिश्रम अभ्यास (दिसंबर 2018) से पता चला कि 15,003 उम्मीदवारों में से 10,776 उम्मीदवार विभिन्न कारणों से अपात्र थे जैसे, प्रशिक्षुओं की पुष्टि नहीं हुई, उम्र के कारण अपात्र, आधार संख्या का दोहराव, निरीक्षण के दौरान

[43] 200 घंटे के लिए ₹ 9,680 प्रति उम्मीदवार और 500 घंटे के लिए ₹ 22,400 प्रति उम्मीदवार।

प्रशिक्षुओं का न मिलना और जॉब भूमिका[44] में अनुमोदित संख्या से अधिक प्रशिक्षु इत्यादि। इस प्रकार, केवल 4,227 उम्मीदवार ही पात्र पाए गए और जिनके संबंध में 80 प्रतिशत भुगतान जारी किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया:

(i) कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अध्ययन रिपोर्ट/परामर्शदाता अध्ययन, जिसमें चमड़े और जूते के क्षेत्र में केवल 1,000-1,200 उम्मीदवारों (पांच वर्षों में कुल 5,608) की वार्षिक आवश्यकता का सुझाव दिया गया था, पर विचार किए बिना और प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों की पात्रता के सत्यापन के लिए उचित परिश्रम में परियोजना प्रबंधन सलाहकार को शामिल किए बिना 15,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद के साथ समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए (अगस्त 2017)।

(ii) कंपनी ने प्रशिक्षण लागत की पहली किस्त पर वस्तु एवं सेवा कर के लिए ₹ 1.01 करोड़ का भुगतान किया, हालांकि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर से छूट दी गई थी।

(iii) चूंकि, चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद ने प्रशिक्षित उम्मीदवारों के रोजगार/नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन की शर्तों को पूरा नहीं किया था, यह केवल 4,227 पात्र उम्मीदवारों के संबंध में 80 प्रतिशत भुगतान के लिए पात्र थी जो कि ₹ 3.62 करोड़ (80 प्रतिशत भुगतान) परिकलित किया गया। इसके परिणामस्वरूप चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद को ₹ 2.96 करोड़ (₹ 6.58 करोड़ घटा ₹ 3.62 करोड़) का अधिक भुगतान हुआ।

इस प्रकार, उचित परिश्रम अध्ययन और वांछित लाभ की निगरानी के बिना चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम ने ₹ 3.62 करोड़ का व्यय करने के बाद भी प्रशिक्षुओं के लिए लाभकारी रोजगार पैदा करने के परिकल्पित लाभ को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद को ₹ 2.96 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

प्रबंधन ने बताया (जून 2020) कि अभिलेखों की उचित जांच सामान्य मानकों[45] के अनुसार की गई थी और अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान, प्रबंधन ने आगे बताया कि वसूली नोटिस जारी किया गया है और कंपनी चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में थी।

---

[44] समझौता ज्ञापन के अनुसार, छः जॉब भूमिकाएं अर्थात् स्टिचर (सामान और वस्त्र), कटर (सामान और वस्त्र), स्टिचर (जूते), कटर (जूते), प्री-असेंबली ऑपरेशन (जूते) और स्काइविंग ऑपरेटर (जूते) अपेक्षित संख्या में थीं। हालांकि, उम्मीदवारों को पहली चार जॉब भूमिकाओं में ही नामांकित किया गया था, लेकिन अलग-अलग संख्या में, जिसके कारण स्वीकृत जॉब भूमिकाओं के लिए अतिरिक्त उम्मीदवारों का नामांकन हुआ।

[45] कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा सामान्य मानदंडों को अधिसूचित (जुलाई 2015 और मई 2016) किया गया था जिसमें कौशल विकास, कौशल विकास पाठ्यक्रम, इनपुट मानक, कौशल विकास के परिणाम, वित्त पोषण मानदंड, निधि प्रवाह तंत्र इत्यादि शामिल थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम रिपोर्ट में इंगित प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर विचार किए बिना चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और परियोजना प्रबंधन सलाहकार उचित परिश्रम में शामिल नहीं था, हालांकि यह उनका कार्य क्षेत्र था, इसके परिणामस्वरूप परिकल्पित लाभ की प्राप्ति नहीं हुई।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी चूक के लिए उत्तरदायित्व नियत करे और भविष्य में ऐसे प्रशिक्षणों में पर्याप्त निगरानी/समुचित परिश्रम किया जाए।

मामला सरकार और कंपनी के पास भेजा गया था (जनवरी 2021); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2021)।

3.5 विस्तारण फीस का अनुद्ग्रहण

कंपनी ने अनुबंध के अनुसार 27 जुलाई 2010 की बजाय 26 अगस्त 2013 से परियोजना की कार्यान्वयन अवधि की गणना करके एक आवंटी को अनुचित लाभ दिया जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के विलंबित कार्यान्वयन के लिए ₹ 1.74 करोड़ की विस्तारण फीस का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) ने कंपनी द्वारा विकास कार्यों के पूर्ण हुए बिना "जहां है जैसा है के आधार" पर प्लॉट का भौतिक अधिग्रहण लेने के लिए आबंटी द्वारा दिए गए शपथ-पत्र (13 जुलाई 2010) पर प्रतिष्ठित परियोजना[46] श्रेणी के अंतर्गत मैसर्ज शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड (आवंटी) को फूड पार्क, राई में 12,150 वर्ग मीटर का एक प्लॉट आवंटित किया (27 जुलाई 2010)। आवंटी ने यह वचन भी दिया कि विकास कार्य/मूलभूत संरचना सुविधाओं के अभाव में वे कंपनी के विरूद्ध कोई दावा नहीं करेंगे।

आवंटी के साथ अनुबंध (6 सितंबर 2010) के लिए उन्हें आवंटन के छः महीने के भीतर प्लॉट का भौतिक कब्जा लेने और कब्जे की पेशकश की तारीख से तीन साल के अंदर अर्थात् 26 जुलाई 2013 तक अपनी परियोजना का कार्यान्वयन[47] करना अपेक्षित था। परियोजना के पूरा होने में तीन साल से अधिक समय के लिए किसी विस्तार की अनुमति कंपनी की संपदा प्रबंधन प्रक्रियाओं[48] के निबंधनों के अनुसार निर्धारित विस्तारण फीस[49] के भुगतान पर की जानी थी।

---

46 ₹ 50/40/30 करोड़ के निवेश वाली परियोजनाएं।

47 परियोजना के कार्यान्वयन का तात्पर्य अचल संपत्तियों में न्यूनतम ₹ 30 करोड़ के निवेश के साथ वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा।

48 संपदा प्रबंधन प्रक्रियाएं आवंटन के पैमानों, औद्योगिक प्लॉटों के आरक्षण एवं प्राथमिकता तथा औद्योगिक संपदा के प्रबंधन से संबंधित अन्य मामलों को संभालती हैं।

49 प्रथम वर्ष के लिए: ₹ 75 प्रति वर्गमीटर, दूसरे वर्ष: ₹ 150 प्रति वर्गमीटर तथा तीसरे वर्ष के लिए: ₹ 250 प्रति वर्गमीटर, चौथे वर्ष के लिए: ₹ 500 प्रति वर्गमीटर तथा पांचवें वर्ष के लिए: ₹ 1000 प्रति वर्गमीटर की दर से।

तथापि, आवंटी ने दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद 23 जुलाई 2012 को प्लॉट (जिसका वास्तविक माप 11,610 वर्गमीटर था) का स्वामित्व ले लिया। इस बीच, कंपनी के निदेशक मंडल ने कोई विस्तारण फीस प्रभारित किए बिना 31 दिसंबर 2012 तक आवंटित प्लॉटों के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक वर्ष का सामान्य विस्तार दिया (29 अगस्त 2013)। तदनुसार, परियोजना की कार्यान्वयन अवधि को 26 जुलाई 2014 तक बढ़ा दिया गया था। कंपनी ने विस्तारण फीस प्रभारित करने के बाद 26 जुलाई 2015 तक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समय में और विस्तार प्रदान किया।

आवंटी ने सूचित किया और आबंटन में परिवर्तन हेतु अनुरोध किया (12 जनवरी 2016) क्योंकि उसने अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से परियोजना को लागू करने का निर्णय लिया था और कार्यान्वयन अवधि में विस्तार की मांग की। कंपनी ने परिवर्तन की अनुमति दी (अक्तूबर 2016) और विस्तारण फीस के भुगतान के अधीन 26 जुलाई 2017 तक विस्तार प्रदान किया।

आवंटी 26 जुलाई 2017 तक भी परियोजना का कार्यान्वयन नहीं कर सका और कंपनी से विधि में परिवर्तन के अनुमोदन की तारीख अर्थात 27 अक्तूबर 2016 से परियोजना के कार्यान्वयन हेतु तीन साल की अवधि की गणना करने का पुनः अनुरोध किया (सितंबर 2017), किंतु संपदा प्रबंधन समिति ने इसे उस दलील पर अस्वीकार कर दिया (सितंबर 2017) कि कंपनी की नीति के अनुसार विस्तारण फीस प्रभारित की गई थी। हालांकि, कंपनी के प्रबंध निदेशक ने आवंटी को व्यक्तिगत सुनवाई के बाद निर्णय लिया (नवंबर 2017) कि कार्यान्वयन अवधि की गणना मूलभूत संरचना के पूरा होने की तारीख अर्थात 26 अगस्त 2013 से (स्वामित्व के प्रस्ताव की तारीख 27 जुलाई 2010 की बजाय) की जानी चाहिए और आवंटी द्वारा पहले से भुगतान की गई तीन वर्ष की विस्तारण फीस को समायोजित करने का आदेश दिया। तदनुसार, कंपनी ने आवंटी द्वारा तीन वर्षों हेतु पहले से भुगतान की गई विस्तारण फीस के आधार पर कार्यान्वयन अवधि को 25 अगस्त 2019 तक बढ़ा (अगस्त 2018) दिया। आवंटी ने 23 अगस्त 2018 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और साइट रिपोर्ट के आधार पर परियोजना को 25 सितंबर 2018 से लागू माना गया था। आवंटी ने प्लॉट की लागत के रूप में सभी देयों का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि प्रबंधन का 27 जुलाई 2010 की बजाय 26 अगस्त 2013 से कार्यान्वयन अवधि की गणना करने का निर्णय उचित नहीं था क्योंकि आवंटी ने विकास कार्य पूरा किए बिना स्वामित्व लेने और इसलिए कोई दावा न करने का शपथ-पत्र दिया (जुलाई 2010) था। इसके अतिरिक्त, प्लॉट का वास्तविक माप हमेशा भौतिक कब्जे के समय लिया जाता है और प्लॉट का कब्जा लेने में आवंटी की ओर से देरी हुई थी। प्लॉट का जोनिंग प्लान कंपनी द्वारा सितंबर 2012 में, अर्थात आवंटी द्वारा प्लॉट का कब्जा लेने के दो महीने के भीतर, जारी किया गया था।

इस प्रकार, कंपनी ने 27 जुलाई 2010 की बजाय 26 अगस्त 2013 से कार्यान्वयन अवधि की गणना करके आवंटी को अनुचित लाभ दिया। परिणामस्वरूप, कंपनी ने चौथे एवं पांचवें वर्ष (अर्थात 27 जुलाई 2017 से 26 जुलाई 2018 और 27 जुलाई 2018 से 23 अगस्त 2018) के लिए विस्तारण फीस की राशि ₹ 1.74 करोड़[50] प्रभारित नहीं की। दूसरी ओर आवंटी ने कंपनी से मैसर्ज बीकानो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम में 100 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ प्लॉट के हस्तांतरण हेतु हस्तांतरण फीस के लिए ₹ 41.10 लाख की राशि को समायोजित करने के बाद ₹ 19.64 लाख के रिफ़ंड की मांग (अक्तूबर 2018) की। भुगतान की स्थिति प्रतीक्षित थी।

प्रबंधन ने बताया (नवंबर 2019) कि उन्होंने कब्जे की तारीख 26 अगस्त 2013 से मानी है, जब संपदा प्रबंधन प्रक्रिया की धारा 4.1 के अनुसार मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संपदा प्रबंधन प्रक्रिया की धारा 4.1 इस मामले में लागू नहीं है क्योंकि आवंटी ने आवंटन से पहले यह शपथ-पत्र दिया (जुलाई 2010) था कि वह कंपनी द्वारा संपदा प्रबंधन प्रक्रिया की धारा 4.5 के अनुसार विकास कार्य पूर्ण किए बिना "जहां है जैसा है के आधार पर" प्लॉट का भौतिक कब्जा लेना चाहता है। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने विस्तारण फीस के अनुद्ग्रहण के लिए कोई कारण सूचित नहीं किया।

यह सिफ़ारिश की जाती है कि कंपनी अपने नुकसान के लिए आवंटी को अनुचित लाभ देने के लिए उत्तरदायित्व नियत करे और ऐसे मामलों में संपदा प्रबंधन प्रक्रिया के प्रावधान को पूरी तरह से लागू करे।

मामला सरकार और कंपनी के पास भेजा गया था (जनवरी 2021); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2021)।

कृषि विभाग

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

3.6 धान की हेराफेरी

मिल मालिकों के पास रखे धान के स्टॉक के नियमित भौतिक सत्यापन के लिए राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया जिसके परिणामस्वरूप मिलर द्वारा धान की हेराफेरी की गई। बाद में, कंपनी ने चेक का नकदीकरण न करके मिलर का पक्ष लिया और अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करने में देरी की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.64 करोड़ की हानि हुई।

राज्य सरकार हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (कंपनी) सहित अपनी खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम की ओर से धान की खरीद करती है। इस

[50] 11,610 वर्गमीटर क्षेत्र हेतु 500 प्रति वर्गमीटर की दर से चौथे वर्ष के लिए ₹ 58.05 लाख और ₹ 1,000 प्रति वर्गमीटर की दर से पांचवें वर्ष के लिए ₹ 116.10 लाख।

प्रकार खरीदे गए धान को मंडियों की खरीद से सीधे मिलरों के परिसर में मिलिंग के लिए ले जाया जाता है और परिणामी चावल, जिसे कस्टम मिल्ड राइस कहा जाता है, को भारतीय खाद्य निगम को दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2017-18 के लिए दिशानिर्देश जारी (सितंबर 2017) किए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि:

- मिलर को कस्टम मिल्ड राइस को चरणबद्ध ढंग से डिलीवर करना था, अर्थात् नवंबर 2017 से जनवरी 2018 में प्रत्येक में 20 प्रतिशत, फरवरी 2018 में 25 प्रतिशत और मार्च 2018 में शेष 15 प्रतिशत और मिलर कस्टम मिल्ड राइस की सुपुर्दगी और राइस की अपनी मिलिंग के अनुपात को बनाए रखेगा;
- यदि राइस मिलर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कस्टम मिल्ड राइस देने में विफल रहता है, तो एजेंसी को धान के स्टॉक को स्थानांतरित करना होगा जो मिलर के जोखिम और लागत पर किया जाएगा;
- मिलर द्वारा कस्टम मिल्ड राइस की आपूर्ति में देरी की स्थिति में, मिलर विलंबित अवधि के लिए 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था और कस्टम मिल्ड राइस देने में विफलता के मामले में, मिलर ब्याज सहित कस्टम मिल्ड राइस की दरों के 110 प्रतिशत की दर से कस्टम मिल्ड राइस कम मात्रा की लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था;
- कंपनी को पाक्षिक आधार पर धान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करना था; तथा
- मिलर द्वारा प्रत्येक टन की मिलिंग क्षमता के लिए ₹ 50 लाख की दर से हस्ताक्षरित चेक तथा आढ़तिया के दो तृतीय पक्ष जमानतदार, इसके अतिरिक्त पहली टन क्षमता के लिए ₹ 10 लाख और प्रत्येक अतिरिक्त एक टन क्षमता के लिए ₹ 5 लाख की सुरक्षा राशि एजेंसी के नाम पर गिरवी रखी गई सावधि जमा रसीद के रूप में प्रदान की जानी थी।

खरीफ विपणन सीजन 2017-18 में कंपनी ने मैसर्ज पारटेक राइस इंडस्ट्रीज, कुरुक्षेत्र (मिलर) को 8,237.89 मीट्रिक टन धान आवंटित किया (अक्तूबर 2017), जिसके लिए कस्टम मिल्ड राइस 31 मार्च 2018 तक डिलीवर किया जाना था। मिलर कस्टम मिल्ड राइस की डिलीवरी में शुरुआत से ही धीमा था और उसने नवंबर 2017, दिसंबर 2017 और जनवरी 2018 में क्रमश: 1,053 मीट्रिक टन, 835 मीट्रिक टन और 727 मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड राइस डिलीवर किया, जबकि प्रत्येक महीने में 1,104 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था। मिलर ने अक्तूबर 2017 से जून 2018 तक 5,519.38 मीट्रिक टन के देय कस्टम मिल्ड राइस के विरूद्ध 3,935.38 मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड राइस डिलीवर किया और ₹ 4.63 करोड़ मूल्य के शेष 1,584 मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड राइस की हेराफेरी की। इसके अतिरिक्त, मिलर से बारदाना, धान टॉप अप और मिलर को आपूर्ति किए गए लकड़ी के टोकरे की लागत तथा ₹ 1.88 करोड़ के ब्याज (अक्तूबर 2020 तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर) के कारण ₹ 36.39 लाख की राशि भी वसूलनीय थी। 25 मई 2018 को आयोजित पहले भौतिक सत्यापन में, कंपनी ने 1,687.23 मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड राइस की कमी पाई और इसलिए, कस्टम मिल्ड राइस की

डिलीवरी न करने के लिए मिलर और दो गारंटरों के विरूद्ध पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज (25 जून 2018) की। 3 जुलाई 2018 को आयोजित भौतिक सत्यापन में मिलर के पास कोई स्टॉक नहीं पाया गया और 1,548 मीट्रिक टन की कमी देखी गई।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि:

- हालांकि कंपनी को नवंबर 2017 से जून 2018 के दौरान 16 भौतिक सत्यापन करने की आवश्यकता थी, कंपनी ने पहला भौतिक सत्यापन केवल 25 मई 2018 को किया था, जबकि 1,687.23 मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड राइस की कमी पाई गई थी। तथापि, कंपनी ने मिलर को एक वर्ष के बाद शेष कस्टम मिल्ड राइस की आपूर्ति करने तथा मिलर के पास पड़े बारदाना और अन्य स्टॉक को वापस करने के लिए 4 मई 2019 को नोटिस जारी कर ब्याज सहित ₹ 6.02 करोड़ की वसूली की सूचना दी।
- यदि कंपनी ने पखवाड़े में स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया होता, तो उसे (i) कस्टम मिल्ड राइस की डिलीवरी और राइस की अपनी मिलिंग के अनुपात के रखरखाव और (ii) मिलिंग की धीमी प्रगति/राइस की डिलीवरी न करने के संबंध में स्थिति का पता चल सकता था। इसके अतिरिक्त, कंपनी मिलिंग दिशानिर्देशों के अनुसार अनमिल्ड धान को अन्य मिलरों को स्थानांतरित कर सकती थी।
- मिलर से प्राप्त किए गए ₹ दो करोड़ के हस्ताक्षरित चेक अब तक (अक्तूबर 2020) बकाया की वसूली के लिए बैंक को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। हालांकि, कंपनी ने कमी की सूचना से 17 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद ₹ 20 लाख की सावधि जमा रसीद (इसे ब्याज सहित ₹ 22.71 लाख कर दिया) को भुनाया (17 दिसंबर 2019)।
- कंपनी ने मिलर के विरूद्ध मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की (अक्तूबर 2019) हालांकि धोखाधड़ी, चोरी या हेराफेरी के मामलों को मिलिंग दिशानिर्देशों के अनुसार उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से निपटाया जाना था और वह भी 16 महीने के बाद।

इस प्रकार, कंपनी ने राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नियमित रूप से स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप मिलर द्वारा धान का दुरूपयोग किया गया। इसके बाद, कंपनी ने चेकों का नकदीकरण न करके और अपने बकाया की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करने में देरी करके मिलर का पक्ष लिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.64 करोड़[51] की हानि हुई।

सरकार ने बताया (अगस्त 2021) कि कर्मचारियों की कमी के कारण भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, बकाया की वसूली के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन (दिसंबर 2020) से सभी चूककर्ता राइस मिलरों के लिए एक निपटान योजना शुरू की गई है। एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान, प्रबंधन ने आगे बताया कि आर्बिट्रेटर की नियुक्ति से संबंधित मामला उच्च न्यायालय में लंबित था और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा चूक की जांच

[51] कस्टम मिल्ड राइस की लागत ₹ 4.63 करोड़ जमा बारदाना इत्यादि की लागत ₹ 36.39 लाख जमा अक्तूबर 2020 तक ब्याज ₹ 1.88 करोड़ *घटा* सावधि जमा रसीद के नकदीकरण के कारण वसूली ₹ 22.71 लाख।

अंतिम चरण में थी। आगे बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निपटान योजना के अंतर्गत बकाया की वसूली के प्रयास किए जाएंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप मिलरों द्वारा धान का दुरूपयोग किया गया और अब सरकार/प्रबंधन ने कुछ राशि वसूल करने के लिए सभी चूककर्ता राइस मिलरों के लिए एक निपटान योजना शुरू की है।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायित्व नियत करे और कस्टम मिल्ड राइस में लागू प्रणाली का अनुसरण किया जाए।

3.7 समय पर वैट जमा न करने के कारण ब्याज/पेनल्टी

कर प्राधिकारियों के पास समय पर मूल्य वर्धित कर की राशि जमा न करने के कारण कंपनी ने ₹ 1.85 करोड़ के ब्याज/पेनल्टी की परिहार्य हानि उठाई।

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (कंपनी) खाद्यान्न खरीद एजेंसी में से एक है और अपने 17 किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से उर्वरकों, कीटनाशकों और कृषि उपकरणों इत्यादि के व्यापार में भी लगी हुई है। कंपनी ने प्रत्येक किसान सेवा केंद्रों के लिए अलग-अलग मूल्य वर्धित कर (वैट) नंबर लिए थे, जो नियत तारीखों पर वैट जमा करने के लिए जिम्मेदार हैं। हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 14 (6) में प्रावधान है कि यदि कोई डीलर कर के भुगतान की अंतिम तिथि से 90 दिनों के बाद भी कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह भुगतान होने तक की पूरी अवधि के लिए प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

कंपनी के किसान सेवा केंद्र, पिपली ने वैट (वैट-आर1) की अपनी तिमाही रिटर्न दाखिल की लेकिन पूरा देय कर जमा नहीं किया। फॉर्म वैट-आर2 के अनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान किसान सेवा केंद्रों का टर्नओवर क्रमशः ₹ 413.57 करोड़ और ₹ 346.16 करोड़ था। इनपुट टैक्स क्रेडिट को समायोजित करने के बाद कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किए गए आकलन के अनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए वैट देयता क्रमशः ₹ 16.07 करोड़ और ₹ 16.65 करोड़ थी। हालांकि, कंपनी ने क्रमशः ₹ 14.78 करोड़ और ₹ 13.28 करोड़ का वैट जमा किया था। इस प्रकार, कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 1.29 करोड़ और निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 3.37 करोड़ का कम वैट जमा किया क्योंकि वैट अधिकारियों ने कर निर्धारण के दौरान बिक्री की राशि में वृद्धि कर दी जिसके परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्ति द्वारा कर का भुगतान न करने के अतिरिक्त कम कर जमा हुआ।

कर-निर्धारण प्राधिकारी, कुरुक्षेत्र ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 94.06 लाख (ब्याज: ₹ 91.68 लाख और जुर्माना: ₹ 2.38 लाख) की राशि का ब्याज/पेनल्टी लगाई (मार्च 2017)। कंपनी ने जून से नवंबर 2017 के दौरान अतिरिक्त कर और ब्याज जमा किया।

निर्धारण वर्ष 2014-15 के संबंध में, कंपनी ने कर के भुगतान के लिए ₹ 1.08 करोड़ की राशि के पिछले रिफंड और 29 अप्रैल 2015 को जमा की गई ₹ 2 करोड़ की राशि के समायोजन के लिए अपील दायर (मार्च 2018) की। हालांकि, निर्धारण प्राधिकारियों ने कोई समायोजन नहीं किया और निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 2.46 करोड़ के ब्याज और ₹ 0.10 करोड़ की पेनल्टी के रूप में लगाई (मार्च 2018)। कंपनी ने प्राधिकारियों के पास केवल ₹ 3.37 करोड़ की कम कर देयता जमा (अप्रैल 2018) की लेकिन निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 2.56 करोड़ (₹ 2.46 करोड़ जमा ₹ 0.10 करोड़) का ब्याज/पेनल्टी अब तक (मार्च 2021) जमा नहीं की गई है। ब्याज/पेनल्टी जमा न करने पर और ब्याज/पेनल्टी भी लग सकती है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए बैंकों से 11.83 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर नकद ऋण/अल्पावधि ऋण प्राप्त किया है जो कंपनी पर लगाए गए 24.33 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से कम था। इस प्रकार, यदि कंपनी ने अपने नकद ऋणों/अल्पावधि ऋणों से अतिरिक्त कर का भुगतान समय पर किया होता, तो यह अंतरीय ब्याज के कारण ₹ 1.73 करोड़ की राशि बचा सकती थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 12.38 लाख (निर्धारण वर्ष 2013-14: ₹ 2.38 लाख और निर्धारण वर्ष 2014-15: ₹ 10 लाख) की पेनल्टी से भी बचा जा सकता था।

इस प्रकार, वैट की कम राशि जमा करने के कारण कंपनी को ₹ 1.85 करोड़ की राशि के ब्याज और जुर्माने का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा।

सरकार ने बताया (अगस्त 2021) कि वैट अधिकारियों ने बिक्री बढ़ा दी जिसके परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्ति द्वारा कर का भुगतान न करने के अतिरिक्त कर की कम राशि जमा हुई। एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान, प्रबंधन ने आगे बताया कि चूक के लिए दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध जांच की जानी थी।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी कम वैट जमा करने के लिए उत्तरदायित्व नियत करे और भविष्य में करों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करे।

हरियाणा राज्य भंडारण निगम

3.8 गेहूं के स्टॉक का नुकसान

गेहूं के स्टॉक के रखरखाव की स्थिति ठीक न होने के कारण निगम को ₹ 1.29 करोड़ की हानि हुई।

राज्य सरकार, हरियाणा राज्य भंडारण निगम (निगम) सहित अपनी अनाज खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम की ओर से गेहूं की खरीद करती है। निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा सरकार ने समय-समय

पर (मई 2018 में दोहराया) विशेष रूप से खुले भंडार में खरीदे और रखे गए गेहूं के स्टॉक के रखरखाव के लिए निर्देश जारी किए थे। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, निगम को प्रकृति की अनिश्चितताओं से अपने गेहूं के भंडार, जब खुले में संग्रहीत किया जाए, की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, और इस प्रकार, स्वयं को आश्वस्त करना अपेक्षित था कि उन्हें सभी परिस्थितियों में पॉलीथीन की चादरों से ढके लकड़ी के क्रेट्स पर ठीक से रखा गया था, भंडारण क्षेत्र में उचित जल निकासी व्यवस्था थी और घास एवं खरपतवार से मुक्त थी, फ्यूमिगेंट्स और निर्दिष्ट रसायनों के साथ समय-समय पर प्री-मानसून उपचार दिया गया था और पर्याप्त निगरानी कर्मचारियों की तैनाती सहित अन्य सभी आवश्यक कदम उठा लिए गए थे।

हालांकि, हेली मंडी (पटौदी) और सेवली मंडी (पलवल) में खरीदे गए गेहूं के स्टॉक के संबंध में निम्नलिखित अवलोकित किया गया।

(i) फसल वर्ष 2018-19 के दौरान निगम ने हेली मंडी में खुले प्लिंथों में 13,379 मीट्रिक टन गेहूं का भंडारण किया। भारतीय खाद्य निगम ने अपने निरीक्षण में देखा और निगम को सूचित किया (अगस्त 2018) कि कर्मचारियों द्वारा गेहूं को पॉलीथिन कवर से ठीक से कवर नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप, स्टॉक बारिश से प्रभावित था और खुले में पड़े स्टॉक की अधिकांश बाहरी परत बारिश से प्रभावित थी और अपर्याप्त वायु-मिश्रण दिया और पॉकेटों में आटा बनता देखा गया। भारतीय खाद्य निगम ने 7,088 मीट्रिक टन गेहूं स्टॉक को अपग्रेड करने योग्य[52] घोषित (सितंबर 2018) किया। इसमें से 1,765 मीट्रिक टन खराब गेहूं की नीलामी (जुलाई 2019) की गई, जिससे निगम को ₹ 1.10 करोड़[53] की वित्तीय हानि हुई। उन्होंने संबंधित भंडारण स्टाफ को गेहूं के स्टॉक के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बार-बार निर्देश देने का भी हवाला दिया, जिसमें सुधार नहीं हुआ है।

(ii) सेवली मंडी (पलवल) में भंडारित 15,090 मीट्रिक टन गेहूं के मामले में, फसल वर्ष 2018-19 के दौरान भंडारण के लिए तीन मंडियों[54] से स्टॉक प्राप्त किया गया था। निगम ने अपनी आंतरिक जांच (जून 2018) में अवलोकित किया कि पुन्हाना मंडी से गेहूं का स्टॉक प्राप्त करते समय सेवली मंडी में तैनात कर्मचारियों ने गेहूं के स्टॉक की ठीक से जांच नहीं की क्योंकि कुछ स्टॉक पहले से ही खराब स्थिति में था। परिणामस्वरूप, 143 मीट्रिक टन खराब गेहूं स्टॉक की नीलामी (जुलाई 2019) की गई, जिससे ₹ 0.19 करोड़[55] की हानि हुई।

---

52 अपग्रेड करने योग्य का अर्थ है, खराब गेहूं के ढेर में से पृथक्करण के माध्यम से गेहूं की गुणवत्ता में सुधार।

53 ₹ 3.90 करोड़ (भारतीय खाद्य निगम से प्राप्य राशि) - ₹ 2.92 करोड़ (क्षतिग्रस्त गेहूं की नीलामी में प्राप्त राशि) + ₹ 0.02 करोड़ (पृथक्करण और उन्नयन पर व्यय) + ₹ 0.14 करोड़ (अतिरिक्त बोरियों के प्रतिस्थापन की लागत) - ₹ 0.04 करोड़ (नमी कटौती के कारण आढ़तियों से वसूल की गई राशि का अंतर)।

54 पुन्हाना मंडी: 15,002 मीट्रिक टन, बरोली मंडी: 78 मीट्रिक टन और होडल मंडी: 10 मीट्रिक टन।

55 ₹ 0.33 करोड़ (भारतीय खाद्य निगम से प्राप्य राशि) - ₹ 0.20 करोड़ (नीलामी के अनुसार प्राप्त राशि) + ₹ 0.06 करोड़ (पृथक्करण और उन्नयन पर किया गया व्यय)।

इस प्रकार, निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद हेली मंडी (पटौदी) एवं सेवली मंडी (पलवल) में फसल वर्ष 2018-19 के गेहूं के स्टाक को अच्छी स्थिति में रखने में कर्मचारियों की लापरवाही के कारण निगम ने ₹ 1.29 करोड़ (₹ 1.10 करोड़ जमा ₹ 0.19 करोड़) की हानि उठाई।

सरकार ने बताया (अगस्त 2021) कि हेली मंडी के तीन अधिकारी, जिन पर इस मामले में पहले आरोप-पत्र दायर किया गया था, स्टॉक के संरक्षण में लापरवाह पाए गए और परिणामस्वरूप निगम को ₹ 1.10 करोड़ की वित्तीय हानि हुई। जुर्माना लगाने के मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन जिला प्रबंधक को भी उनकी पर्यवेक्षी चूक के लिए चार्जशीट (28 जून 2021) किया गया था। आगे, सेवली मंडी के संबंध में संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध ₹ 0.19 करोड़ की वित्तीय हानि के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान, प्रबंधन ने दोहराया कि निगम द्वारा उठाई गई हानि के लिए संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध जांच प्रारंभ की गई है।

यह सिफ़ारिश की जाती है कि निगम को अपने हितों की रक्षा के लिए अपने गेहूं के स्टॉक के उचित भंडारण के लिए निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों का पालन करना चाहिए और दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई में तेजी लानी चाहिए।

3.9 धान/कस्टम मिल्ड राइस की हेराफेरी

खरीफ विपणन सीज़न के दिशा-निर्देशों के नियमों और शर्तों का पालन न करने और चूककर्ता मिलर से शेष राशि की वसूली के लिए समय पर प्रयास न करने से ₹ 6.75 करोड़ की हानि हुई।

राज्य सरकार, हरियाणा राज्य भंडारण निगम (निगम) सहित अपनी खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम की ओर से धान की खरीद करती है। इस प्रकार खरीदे गए धान को मंडियों से सीधे मिलरों के परिसर में मिलिंग के लिए ले जाया जाता है और उससे निकले चावल, जिसे कस्टम मिल्ड राइस कहा जाता है, को भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2018-19 के लिए अपनी खरीद एजेंसियों को दिशा-निर्देश जारी किए (सितंबर 2018) जो निम्नानुसार है:

- एजेंसी को पाक्षिक आधार पर धान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करना था और प्रत्येक राइस मिलर को एक चित्रात्मक चार्ट तैयार करना था जिसमें स्टैक संख्या और प्रत्येक स्टैक में बैगों की संख्या के साथ स्टैक की स्थिति को दर्शाया जाना था और संबंधित एजेंसी को इसकी प्रति प्रस्तुत की जानी थी;

- मिलर द्वारा प्रत्येक टन की मिलिंग क्षमता के लिए ₹ 50 लाख की दर से हस्ताक्षरित चेक तथा आढ़तिया[56] के दो तृतीय पक्ष जमानतदार, इसके अतिरिक्त पहली टन क्षमता के लिए ₹ 10 लाख और प्रत्येक अतिरिक्त एक टन क्षमता के लिए ₹ 5 लाख की सुरक्षा राशि एजेंसी के नाम पर गिरवी रखी गई सावधि जमा रसीद के रूप में प्रदान की जानी थी।
- यदि राइस मिलर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कस्टम मिल्ड राइस देने में विफल रहता है, तो एजेंसी को मिलर के जोखिम और लागत पर धान के स्टॉक को स्थानांतरित करना था।

खरीफ विपणन सीजन 2018-19 के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि मैसर्ज एम.एम. राइस मिल्स, रादौर (मिलर) को दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम 4,000 मीट्रिक टन धान के विरूद्ध 3,475.27 मीट्रिक टन धान आवंटित किया गया था। मिलर को 31 मार्च 2019 तक 67 प्रतिशत के उत्पादन अनुपात पर 2,328.43 मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड राइस डिलीवर करना था, जिसे 30 सितंबर 2019 तक बढ़ा दिया गया था। मिलर ने विस्तारित अवधि के दौरान भी कस्टम मिल्ड राइस की डिलीवरी में चूक की और मूल डिलीवरी कार्यक्रम के अनुसार 31 मार्च 2019 तक 100 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध भारतीय खाद्य निगम को 9 अप्रैल 2019 तक केवल 674.34 मीट्रिक टन (कस्टम मिल्ड राइस का 28.96 प्रतिशत) ही डिलीवर किया। मिलर के परिसर में मिलर के प्रतिनिधि के साथ निगम के गोदाम कीपर और प्रबंधक की समिति द्वारा किए गए अंतिम भौतिक सत्यापन (16 जुलाई 2019) से पता चला कि मिलर ने शेष 1,654.09 मीट्रिक टन कस्टम मिल्ड राइस की हेराफेरी की जिससे निगम को ₹ 6.75 करोड़ (जनवरी 2021 तक के ब्याज सहित) की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 25 मार्च 2019 को भौतिक सत्यापन के दौरान, हालांकि निगम को पता चला कि 196.87 मीट्रिक टन धान की कमी थी, परंतु उसके लिए कानूनी नोटिस 30 मई 2019 को ही जारी किया गया। मिलर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पिछले भौतिक सत्यापन की तारीख से पांच महीने बाद 27 दिसंबर 2019 को दर्ज की गई थी। 25 मार्च 2019 को कमी देखी जाने पर धान के स्टॉक को स्थानांतरित नहीं किया गया था। मिलर के ₹ 5.80 करोड़ के गारंटी चेक 19 फरवरी 2020 को अर्थात, हेराफेरी की सूचना के सात महीने बाद ही बैंक में प्रस्तुत किए गए थे। 25 फरवरी 2020 को चेक बाउंस हो गए। निगम ने अक्तूबर 2020 में मिलर के साथ-साथ ज़मानतदार/गारंटर के विरूद्ध अदालत में वसूली का मुकदमा दायर किया है। धान के स्टॉक का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी पाक्षिक आधार पर नहीं किया गया था और मिलर से धान के स्टॉक का सचित्र चार्ट/स्केच प्राप्त नहीं हुआ था।

इस प्रकार, खरीफ विपणन सीजन के दिशानिर्देशों के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन न करने और शेष राशि की वसूली के लिए समय पर प्रयास न करने के परिणामस्वरूप मिलर द्वारा ₹ 6.75 करोड़ मूल्य के धान की हेराफेरी हुई।

---

[56] आढ़तिया, बाजार का बिचौलिया होता है।

सरकार ने बताया (जुलाई 2021) कि निगम ने कई बार स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया था, हालांकि पाक्षिक आधार पर नहीं किया और निगम को सभी कानूनी और आपराधिक कार्रवाइयों के माध्यम से मिलरों से होने वाले नुकसान की भरपाई की उम्मीद थी। एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान, प्रबंधन ने आगे बताया कि दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है और मिलर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, देयों की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया गया है।

इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि निगम के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग

हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

3.10 खराब वित्तीय प्रबंधन

खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण कंपनी ने अपनी अधिशेष निधियों पर ₹ 4.48 करोड़ का ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की ओर से सभी अस्पतालों/औषधालयों के लिए दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों और उपकरणों की खरीद के लिए हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (कंपनी) की स्थापना (जनवरी 2014) की गई थी। महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा अपनी ओर से खरीद गतिविधियों को करने के लिए कंपनी को निधियां हस्तांतरित करते हैं जिसके लिए वे प्रसंस्करण शुल्क के रूप में चार प्रतिशत का भुगतान करते हैं। कंपनी के राजस्व के मुख्य स्रोत महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा से प्राप्त प्रक्रिया फीस, सावधि जमा से ब्याज, विलंबित आपूर्ति प्रभार एवं परीक्षण प्रभार हैं।

कंपनी के अभिलेखों की नमूना-जांच से पता चला कि उसने एच.डी.एफ.सी. बैंक में तीन बैंक खाते और इंडसइंड बैंक में एक खाता खोला, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी ने एच.डी.एफ.सी. बैंक के बचत खातों और इंडसइंड बैंक के चालू खाते में निधियां रखने के कारण ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

(क) एच.डी.एफ.सी. बैंक: खाता खोलते समय बैंक ने स्वीप-इन-सेविंग अकाउंट[57] जमा पर 6 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत की दर से ब्याज की पेशकश (मई 2016) की थी। हालांकि, कंपनी ने बैंक के पास क्रमश: 1 जून 2016, 3 जून 2017 और 21 मई 2018 को तीन[58] बचत बैंक खाते खोले। बैंक ने इन बैंक खातों को खोलने की तारीख से 3.5 प्रतिशत की दर से लागू ब्याज

---

[57] जब भी बचत खाते में शेष राशि सीमा से अधिक होती है, तो अधिक ब्याज दर अर्जित करने के लिए अधिशेष राशि को सावधि जमा खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए तकनीकी शब्द "स्वीप-इन" है।

[58] (i) 50100072479021; (ii) 5010020549608; और (iii) 50100236650058.

का भुगतान किया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने खाते के प्रकार/खाते की प्रकृति की समीक्षा नहीं की और महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा से प्राप्त अव्ययित शेष राशि इन खातों में पड़ी रही। लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर कि कंपनी ने निधियां बचत खातों में रखी हैं, कंपनी ने बैंक को 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष के बजाय 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा (नवंबर 2019)। बैंक से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, उसने एच.डी.एफ.सी. बैंक के सभी तीन खातों को बंद करने का निर्णय लिया (जनवरी 2021)। इस प्रकार, निधियों को उच्च ब्याज अर्जित करने वाले स्वीप-इन-सेविंग खाते में रखने के बजाय निम्न ब्याज दर वाले बचत खातों में रखा गया था, जिसके कारण कंपनी ने जून 2016 से मार्च 2020[59] के दौरान ₹ 4.22 करोड़ की न्यूनतम अतिरिक्त ब्याज आय अर्जित करने का अवसर खो दिया।

(ख) इंडसइंड बैंक: बैंक खाता खोलने के लिए इंडसइंड बैंक ने कंपनी द्वारा अपने खाते में ₹ एक लाख से अधिक की दैनिक शेष राशि पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की पेशकश की। कंपनी ने सितंबर 2014 में इंडसइंड बैंक खाते के पास एक चालू फ्लेक्सी खाता[60] खोलने के लिए आवेदन किया, लेकिन बैंक ने अक्तूबर 2014 में एक चालू खाता खोला। 29 सितंबर 2017 तक इस खाते में कोई निधि नहीं रखी गई थी। हालांकि, इस खाते में 29 सितंबर 2017 से 26 जुलाई 2018 की अवधि के दौरान ₹ 1.03 करोड़ से ₹ 10.17 करोड़ तक की निधियां जमा की गई और 9 अगस्त 2018 तक जमा रहीं। अगस्त 2018 में, कंपनी ने महसूस किया कि इंडसइंड बैंक के चालू खाते में रखी गई निधियों पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा था और इसलिए खाते की प्रकृति को चालू खाते से बचत खाता-सह-इंडस लार्ज बिजनेस खाते में बदलने का निर्णय लिया। चालू खाते में रखी हुई ₹ 10.17 करोड़ की शेष राशि इस नए खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार, यदि कंपनी समय पर खाते के प्रकार की समीक्षा कर लेती और चालू खाते को बचत खाते में परिवर्तित कर लेती तो वह 29 सितंबर 2017 से 9 अगस्त 2018 की अवधि के दौरान बैंक में जमा शेष राशि पर ₹ 26.14 लाख का ब्याज अर्जित कर सकती थी।

इस प्रकार, खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण कंपनी ने दो बैंकों में रखी अपनी अधिशेष निधि पर ₹ 4.48 करोड़ की अतिरिक्त ब्याज आय अर्जित करने का अवसर खो दिया।

कंपनी ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (दिसंबर 2020 और जनवरी 2021) कि एच.डी.एफ.सी. बैंक के सभी तीन बैंक खाते बंद कर दिए गए हैं और इंडसइंड बैंक से ब्याज लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान, प्रबंधन ने दोहराया कि ब्याज की वसूली का मामला पहले ही बैंक के साथ उठाया जा चुका है और विगत दिनों में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

---

[59] चूंकि मार्च 2020 के बाद सावधि जमा दरें बचत बैंक खातों पर ब्याज के करीब थीं, उसके बाद कोई गणना नहीं की गई है।

[60] चालू फ्लेक्सी खाते वे चालू खाते हैं जिनमें निर्दिष्ट दिनों (इस मामले में 7 दिन) से अधिक अवधि के लिए खाते में रखी गई कुछ राशि (इस मामले में ₹ 1 लाख) से अधिक निधियों के लिए सावधि जमा के लाभ प्राप्त होते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बैंक अवधि के दौरान संचालित खाते की प्रकृति के अनुसार ब्याज देंगे और कंपनी के दावों पर विचार नहीं करेंगे।

यह सिफ़ारिश की जाती है कि कंपनी रिटर्न को अनुकूलित करने के लिए अपनी अधिशेष निधियों के निवेश के लिए अपने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करे।

मामला सरकार और कंपनी के पास भेजा (मार्च 2021) गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितंबर 2021)।

विशाल बंसल

चण्डीगढ़ **(विशाल बंसल)**

दिनांकः 29 नवम्बर 2021 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 10 दिसम्बर 2021 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**